Jagadguru Shankaracharya Uttaramnaya Badari Jyotirmath Badarikashram Seva Samiti,

Jagadguru Shankarachaya 4 Amnaya peethas Parirakshana Abhiyanam - All India Yatra

Uttaramnaya , Paschimamnaya, Dakshinamnaya Peetha Prakshalanam,

by
Paramahamsa Parivrajaka Dandi Swami Sri Govindananda Saraswati Ji Maharaj
(Dandi Sanyasi Deekshita Shishya of Badari, Dwaraka Poojya Jagadguru Shankaracharya Dharma Samrat Brahmaleena Swami Sri Swaroopananda Saraswati Swamiji Maharaj)

Date:11/09/2024, 3.p.m, Venue /Place: Delhi ,

Swami Govindananda Saraswati Maharaj's Open debeate challange letter

To
Fake Dongi Baba Patita Avimukteshwaranand Umaashankar (Duryodhan) Kedarghat Varanasi, Currently in Delhi
Fake Dongi Baba Gurudrohi Sadananda Saraswati (Karna) , Paramahamsi Ganga Ashram Narasingpur District M.P , Currently in Ahmadabad,
Fake dongi Baba Vidhushekhara Bharati (Kuppa Venkateshwara Prasad Sharma - Dyushassan) currently in Sringeri, Karnataka,
Vishvamitra H.H Sri Bharati Teertha Swamiji Maharaj (Bheeshma) -

Currently in Sringeri, Karnataka (unless until H.H wont given answers for our questions and wont accepect debeate we can not use the titiles “Jagadguru Shankarachaya” to him)

CC to Puri Govardhan Peetha Jagadguru Shankarachaya Swami Sri Nischalananda Saraswati Swamiji Maharaj

("Swami Govindanand Saraswati" Paramahams Parivrajaka Sanyasa Deekshita Shishya of Badri Dwarka Jagadguru Shankaracharya Swami Sri Swaroopanand Saraswati Ji Maharaj's open debeate challenge letter to fake Baba’s Avimukteshwaranand, Sadananda Saraswati, Vidhushekhara Bharati , and Vishvamitra Sri Bharati Teertha Swamiji Maharaj)

Message to Fake Dongi Baba Patita Avimukteshwaranand Umaashankar (Duryodhan) Kedarghat Varanasi, Currently in Delhi

Pappu Avimukteshwaranand , I am in Delhi only, You are also in Delhi only,

For the last few years when ever, where ever i challange you, you use to escape from every where, now you can not escape from Delhi,

I saw all your cunning tricks, even i saw your both TV program's in Republic and Times Now Navbharat , along with Karna “Sadananda Sarasswati”, Dushyasana “Vidhushekhara Bharti”,

Remember one thing you may fool TV and media , and normal public , but not Swami Govindananda Saraswati , and Shastra
i know how you tell lies every where and making people fools,

Fake Dongi Baba Avimukteshwaranand Poorva Paksha : not even a sigle case against me in any court related to “Shankaracharya Subject”

(1)

Swami Sri Govindananda Saraswati Uttara Paksha : I will prove how may cases filed in SC or other courts against you,

Even though you know that “I myself filed SC Contempt Case against you”

(2)

Fake Dongi Baba Avimukteshwaranand Poorva Paksha: Deeksha Guru Gives Dandam to his shishyas**,**

Swami Sri Govindananda Saraswati Uttara Paksha : No , Deeksha Guru Never gives any Dandam to His sishya,

these mistakes happened in your case and Sadananda’s case that’s why Guruji rejected both of you , and gave Paramahamsa Parivrajaka Sanyasa deeksha according to Shastra to Me and Swami Amrutananda Saraswati ,

(Don’t forget during 2010 in Haridwar Kumbha when Poojya Gurudev wanted to give Sanyasa Deeksha to me what you did,

Don’t forget in prayag raj 2013 after my sanyasa deeksha from Poojya guruji when both of you with greed and Irsha, Dveesha started creating nuisance, telling lies to Guruji, even Guruji Scholded both of you and told me to show “Pramanas” to both of you to shut both your mouth, if your forgot again I will shut your both mouths , Poojya Guruji he may not be present physically but don’t forgot the Same Govindananda Saraswati is here with blessing of Poojya Gurudev and Badari Narayana and Dwaraka Dheesh)

For my questions you are not able to give any single answers properly

Sitting in delhi infront of you, iam challenging you

In front of you i will prove to the world saying that **you are a thief**, **a dongi baba, a fraud, a kidnapper, killer, Guru Drohi, Patita, Samsari Baba, fake number 1, with complete evidences ,** not only that i will also prove even **"Sadananda Saraswati" also is a big fraud, and cheater** , **(i will also prove how you both wanted to grab our gurujis both peethas Dwaraka , Jyotirmath with forgeory documents fake Will/Vasiyat)** not only **this i will also prove another dongi baba "Vidhushekhara Bharati" , self proclaimed baba misusing the titiles of "Shankarachaya and Sharada**

Peethadheeswar" and cheating Sanatana Dharma, God and Adi Shankarachaya Parampara,

i will also prove how you 3 people cheated the entire Hindus and Sanatani's with so called “fake abhishekam stage drama” and i will also prove how Sri Sringeri Sri Bharati Teertha Swamiji Maharaj cheated Sanatana Dharma, God and Adi Shankarachaya Parampara,

and I will also prove how all you people wanted to kill me and making various plans , but faild , still traying …..,

Are you ready for an open debate, just 1 days time for you

Call the same Republic TV and Navabharat Times

Let the entire nation, world watch how you are a raskel ,

Any way you are not eligible for any Shastrarth as you are a moorkha , atleaset come for debeate,

you can bring your beloved friends to (Karna - Sadananda Saraswati, dushyasan - Vidhushekhara Bharati) you can take the help of Vishvamitra Sri Bharati Teertha Swamiji

iam waiting for this day only , to protect 2500 years Adi Shankarahaya Parampara and trrdition from you kind of thevies ,

and dont forgot, i will also prove your "Amar Prem Kahani" story also , which proves you are the most patita , there is no prayaschitta also for you as a sanyasai, even people get sin those who see your face ,

Message to H.H Sri Bharati Teertha Swamiji and Kuppa Venkateshwara Prasad - (**Vidhushekhara Bharati),**

Any way Sri Ganapati Vakyartha Mahassabhas going on in Sringeri

I hope lots of top Vedic and Shastra Scholers will come and show their Vakyartha skills from various Shastra Subjects

I hope lots of top Vedic and Shastra Scholars will come and show their Vakyartha skills from various Shastra Subjects,

My challange to all those Scholars (Names mentioned in Vakartha invitations) before doing Shastartha my challange to all of you , before starting you subjet infront of you and infront of Sri Chandra Mauleshwar infront of Sabha ask H.H Sri Bharati Teertha Swamiji Maharaj and Vidhushekhara Bharati to take oath saying that

Vidhushekhara Bharati is Jagadguru / "Shankaracharya" and Sharada "Peethadheeshwar" becasue Sri Bharati Teertha Swamiji and Vidhushekhara Bharati cheated Sanatana Dharma and Adi Shankarachaya Parampara, and Dwaraka, Badari Math, this dongi baba Vidhushekhara Bharati joing with these fake babas Avimukteshwaranand and Sadananda joing with criminals wanted to grab our Gurudevs 2 Maths , but faild ,

This dongi baba Vidhushekhara Bharati comes to Dwaraka and Jyotirmath and claims he is the Shankarachaya , Sharada Peethadheeshwar , Mahaswami and he himslef puts signature ,

My challange to this dongi baba Vidhushekhara Bharati stop all your cunning cheatin activities and first, infront of Sabha and all Vedic Scholoers prove your self that you are a “Jagadguru” "Shankaracharya" and Mahaswami, Sharada Peethadheeshwar ,

If you cont prove ask Poojya Sri Bharati Teertha Swamiji Maharaj to prove Vidhushekhara Bharati Bharati is "Shankaracharya" and Mahaswami, Sharada Peethadheeshwar ,

Poorva Paksha of Vidhushekhara Bharati : I am Shankaracharya, Sharada Peethadheeshwar,

Uttara Paksha of Swami Govindananda Saraswati : Vidhushekahra Bharati is not a "Shankaracharya or Sharada Peethadheeshwar",

And one more thing, even he is not a “Jagadguru”

He is just Uttaradhikari only a normal sanyasi ,

Forgot about "Shankaracharya or Sharada Peethadheeshwar",

I wanted to ask how he become “Jagadguru”

before going to this subject both Sri Bharati Teertha Swamiji and Vidhushekhara Bharati should take an oath saying that According to Shastra vidhanam Sri Bharati Teertha Swamiji gave Sanyasa Deeksha to Vidhushekhara Bharati, even vidhushekhara bharati also should take an oath saying that “According to Shastra vidhanam he took sanyasa deeksha from Sri Bharati Teertha Swamiji, if they won’t take any oath and prove infront of Sabha

As a Bhagavat Sakshi in the history

“Sri Bharati Teertha Swamiji willl remain Sitaramnjaneyulu only,

Ofcourse people may say vidhushekahra bharati but still he will also remain as “Kuppa Venkateshwara Prasad” only,

My challange for Kuppa Venkateshwara Prasad to prove you’re self that according to Shastra you have taken sanyasa from Sri Bharati Teertha Swamiji and become Vidhushekhara Bharati,

If you take an oath imeedeately I will prove that you are sanyasa vidhanam is not according to Shastra, Sanyasa Dharma Shastra

And I will also prove how Sri Bharati Teertha Swamiji ji broke all the principlas of Sanyasa Dharma and Mathamnaya Mahanushasanam

Message to All Vedic Scholoers those who are comming to Sringeri Ganapati Mahavakyartha Sabha, (don't come for big cover or big dakshina), I don’t want fake Ganapati Vakyartha Sabhas , let us have real time Vakyartha Sabha , Shastartha , (Shastra debeate) give up all reality shows and come for real Shastatha

i want all of you to ask the same queastion to Sri Bharati Teertha Swamiji and Vidhushekhara Bharati to take oath as their "poorva paksha" and the movement they take oath i will condem their "poorva paksha" and i will establish the Uttara paksha saying that "according to Shastra Niyama Sri Bharati Teertha Swamiji not given Sanyasa Deeksha to Kuppa Venkateshwara Prasad " Vidhushekahra Bharati" and i will also prove how Sringeri Sri Bharati Teertha Swamiji and Vidhushekhara Bharati cheated Sanatana Dharma and Adi Shankarachaya and parampara, violated all the principals of Mathamnaya Mahanushasanm which is the main fundamental basic LAW and principals

Note : to Pappu Avimukteshwarananda I know you are ready to escape fom Delhi after 18th Sept 2024 , but where ever you escape , I wont leave you , I will make you run , unless you won't ask apologies,

If you are ready for Shastartha / Debeate send me a letter without delay

And arrange a live debeate in the Same Republic TV with Arnab Gowswami or Times Now Navabharat or

If you cont arrange, write it and send a letter to me I will arrange

Without giving any answer with cunning tricks if you try to escape from delhi, the movement you go out from delhi we will decleare you, and announce "Bhashikara from Hindu Sadhu Samaj, and the details will be submitted to the court, SC and DHC

Note 1: along with your oath i want an official letter from all of you with your signatures, saying that we are accepecting the Shastartha and we will prove that we are right,

Note2: if you people intentionally wanted to play any tricks for delaying or escaping from this you will be announced as a defaulter,

Task 1: anyway sitting in delhi i proved saying that Avimukteshwarananda is Dongi baba no 1 , if he want again I wll prove in delhi

First let me finish first task “condemning again this fool Avimukteshwarananda that he is Fake Babba no 1”

Task 2 : Giving 1 week time to Sri Bharati Teertha Swamiji Maharaj and Vidhushekhara Bharati Swamiji before completing Mahaganapati Vakyartha Sabhas they should take oath and prove , other wise after Chaturmasya I will come to Karnataka I will arrange a Vidwat Sabha and I will prove and I will start “Sringeri Math Prakshalanam” still if you are trying to escape from this ,

I won’t hesitate for coming to sringeri and call for “Dharma Sansad” and use the powers given by Adi Shankarachaya in Mathamnaya Mahanushasanam and implement according to
“Anyatharuda Peethopi Nigraharho Maneeshinaam”

Task 3 : condemning Sadananda Saraswati and proving that he is also a Fake dongi baba no1 ”

Iti

Narayana Smarana poorvaka
Paramahamsa Parivrajaka Dandi Swami Sri Govindananda Saraswati Ji Maharaj
(Dandi Sanyasi Deekshita Shishya of Badari, Dwaraka Poojya Jagadguru Shankaracharya
Dharma Samrat Brahmaleena Swami Sri Swaroopananda Saraswati Swamiji Maharaj),

मठाश्चत्वार आचार्याचत्वारश्चधुरन्धराः । सम्प्रदायाश्च चत्वार एषा धर्मव्यवस्थितिः ।।

उक्तलक्षणसम्पन्नः स्याच्चेन्मत्पीठभाग् भवेत् । उन्यथारूढपीठोऽपि निग्रहार्हो मनीषिमाम् ।।

श्लोक (48) अर्थात यदि ऊपर बतलाये गये लक्षणों से युक्त व्यक्ति हो तभी वह मेरे पीठ के ग्रहण का अधिकारी हो सकता है , अन्यथा पीठारूढ हो जाने पर भई मनीषियों के द्वारा (अनधिकारी) पीठ से हटा दिया जाना चाहिये ।

मैं परमहंस परिव्राजक दण्डी स्वामी श्री गोविन्दानन्द सरस्वती उम्र 45 वर्ष पूज्य जगतगुरू शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरुपानन्द सरस्वती जी महाराज बद्री ज्योतिरमठ, द्वारका शारदापीठ का परमहंस परिव्राजक दण्डी सन्यास दीक्षित शिष्य हूं। मैं पूज्य बद्री, द्वारिका पीठ शंकराचार्य महाराज जी का 2006 से सेवा में निरत होकर वर्ष 2010 में परमहंसी गंगा आश्रम (म0प्र0) में उत्तराम्नाय ज्योतिर्मठ ब्रह्मचारी दीक्षा और 2013 में प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर्व दिन पर आम्नायपीठ संयास दीक्षा प्राप्त करके निरन्तर पूज्य महाराज जी की पीठ परम्परा के अनुसार आदि शंकराचार्य मठाम्नाय महानुशासनम की अनुसार सकल वेदान्त आदि शास्त्र प्रस्थानत्रय (भगवत गीता , उपनिशद , ब्रह्मसूत्र) अद्वैत सिद्धान्त , शास्त्रार्थ में ज्ञान प्राप्त किया और पुज्य गुरूदेव जी ने खुद ही मुझे दीक्षा देकर यह सब पढाया। जगतगुरू शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरुपानन्द सरस्वती जी महाराज व मेरे मध्य रहे गुरू शिष्य के सम्बन्धों का वर्णन करने वाली पुस्तक आपको उपलब्ध करा रहा हूं। पूज्य गुरूजी ने 99 वर्ष की आयु को पूर्ण करने के उपरान्त चतुरमास व्रत सम्पन्न करके म0प्र0 नर्सिंहपुर जिला परमहंसी गंगाश्रम में दिनांक 11-09-2022 को ब्रह्मलीन हुये। मेरे पूज्य गुरूदेव जी के जीवत रहते हुये ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के पद को लेकर गुरूजी व स्वामी वासुदेवानन्द सरस्वती जी के मध्य मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय से स्थानान्तरित उच्चतम न्यायालय भारत में विचाराधीन रहा। उक्त प्रकरण में दिनांक 14-11-2018 को उच्चम न्यायायल ने अन्तरिम आदेश पारित कर मामले में अन्तिम निर्णय पारित होने तक पूज्य गुरूजी को ही ज्यातिर्मठ के शंकराचार्य के रूप में मान्यता देते हुये आदेश पारित किया साथ ही निर्विवादित रूप से द्वारिका पीठ के शंकराचार्य के रूप में भी स्वीकार कर उदघोषणा की। जिसकी निर्णय की छायाप्रति आपको उपलब्द करा रहा हूं। उक्त समय से ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पद का प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। गुरूजी के हम 06 सन्यासी दीक्षीत शिष्य हैं जिनमें से 1- सदानन्द सरस्वती 2-अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती 3- श्री रामकृष्णानन्द सरस्वती 4- अमृतानन्द सरस्वती 5- गोविन्दानन्द सरस्वती 6- प्रज्ञानानन्द सरस्वती हैं। आदिगुरू शंकराचार्य जी ने 2500 वर्ष के पहले भारत में चारों दिशाओं में 04 पीठ स्थापित किये उक्त चारों पीठों के संचालन व निर्वहन के लिए एक नियमबद्ध संविधान (ग्रन्थ) **"मठाम्नाय महानुशासनम"** की रचना की जिसमें चारों मठों की भौगोलिक सीमा

,ब्रह्मचारी , देवता ,संयासी , साम्प्रदाय ,धर्मप्रचार अधिकार क्षेत्र सीमा एवं सम्बन्धित पीठों में नये शंकराचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया उसकी योग्यताओं के बारे में सम्पूर्ण विधान उल्लेखित करते हुये उक्त सभी पीठों को बलपूर्वक या अन्य विधानों से अनैतिक रूप से उसका स्वामित्व के लिए प्रयास करने वाले प्रत्येक उस अनधिकृत व्यक्ति को निग्रह करने के विधान भी उल्लेखित किये गये हैं । **मठाम्नाय महानुशासनम में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एक पीठ में एक समय में एक ही योग्य संयासी आचार्य शंकराचार्य के रूप में पीठासीन हो सकता है** ।यहा उल्लेखनीय बात यह है कि जब तक मेरे पूज्य गुरूदेव जीवित थे परम्परागत और कोर्ट के अन्तरिम आदेशानुसार वे ज्योतिर्मठ व द्वारिका पीठ के शंकराचार्य के पद पर आसन्न रहे उसके साथ –साथ अन्य दो पीठों में शृंगेरी पीठ में स्वामी श्री भारती तीर्थ महाराज जी तथा पुरी गोवर्धन पीठ में स्वामी निश्चालानन्द सरस्वती जी महाराज परम्परागत मान्य पीठस्थ शंकराचार्य थे । पूज्य गूरूजी के दिनांक 11-09-2022 ब्रह्मलीन होने के दौरान अविमुक्तेश्वरानन्द द्वारा मा0 न्यायालय को अवगत कराया कि अन्य तीनों पीठों के शंकराचार्य द्वारा मुझे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पद के लिए सिफारिश की गयी है तथा उसके द्वारा ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य की पद हेतु मा0 उच्चम न्यायालय में अनुरोध किया । **(जबकि यहां विशलेषणीय बात यह है कि 1-पूज्य महाराज जी द्वारा अपने जीवन काल में स्वंय प्रेस नोट के जरिये स्पष्ट कहा गया था कि " हमारे अभी तक ज्योतिष पीठ एवं द्वारकाशारदा पीठों पर किसी को अधिकृत रूप से उत्तराधिकारी एवं शंकराचार्य घोषित नहीं किया गया**" । प्रेस नोट की छायाप्रति आपको उपलब्ध करा रहा हूं 2- इसके साथ पूज्य गुरूजी द्वारा पीठ में शंकराचार्यों की अथवा उनके उत्तराधिकारियों की नियुक्त के बारे में मठाम्नायमहानुशासन की प्रक्रिया विधान को पुष्टि देते हुये अवैधानिक ,अप्रमाणिक वसीयत परम्परा विधान का खण्डन करते हुये उक्त सम्बन्ध में यह भी घोषणा की कि हमारे शंकराचार्य के सम्प्रदाय में वसीयत ,कोई परम्परा नहीं है । जिसको लेकर उनके द्वारा दिनांक 08-07-2012 को भी ABP न्यूज पर भी अपना वक्तव्य दिया था इससे अत्यन्त स्पष्ट होता है कि पूज्य जगतगुरू जी अपने जीवन काल में ही अपने दोनो पीठों को लेकर न किसी व्यक्ति को उत्तारधिकारी घोषित किया ना हि किसी को शंकराचार्य के रूप में घोषित किया नाहिं किसी भी तरह का कोई वसीयतनामा तैयार किया गया । जिसकी विडियों आपको उपलब्ध करा रहा हूं।) ।

अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती के अनुरोध के पश्चात मा 0 न्यायालय द्वारा सभी पक्षो को उक्त पीठ के शंकराचार्य पद को लेकर दिये गये अपने पूर्व के अन्तिरम आदेश(स्टे आर्डर) का पालन करने हेतु आदेशित करते हुये पूज्य महाराज जी का ब्रह्मलीन होने के कारण समाधि कार्य करने के लिए आदेशित किया साथ ही उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 18-10-2022 को अन्तिम सुनवायी हेतु अवगत कराया गया । जिसकी प्रति आपको उपलब्ध करा रहा हूं ।इसके पश्चात दिनांक 12-09-2022 को अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती , सदानन्द सरस्वती , सुबुद्धानन्द ब्रह्मचारी ने शृंगेरीमठ का अधिकारी गौरीशंकर , कवर्धा निवासी चन्द्रप्रकाश उपाध्याय के साथ मिलकर कूटनीत रचना की जिसमें उनके द्वारा दिनांक 01-02-2017 की एक फर्जी वसीयत तैयार की गयी ।जिसकी छायाप्रति आपको उपलब्ध करा रहा हूं। दिनांक 12-09-2022 को ही पूज्य ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी की समाधि देने से पूर्व ही अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती और सदानन्द सरस्वती को ज्योतिर्मठ व द्वारका पीठ में अभिषेक करने का फर्जी नाटक रचा (जबकि शास्त्र नियम के अनुसार ब्रह्मलीन होने के 12 दिन तक ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये साथ ही उक्त पीठ के शंकराचार्य पद को लेकर पूर्व से कोर्ट द्वारा स्टे आर्डर पारित किये गये थे)जिसके समर्थन में शृंगेरी शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ जी द्वारा भी पत्र भेजा गया था जो कि न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध है । **इसके अतिरिक्त उनके द्वारा पुरी के शंकराचार्य का समर्थन प्राप्त होना बताया गया जो कि निराधार एवं झूठ है ।** जिस सम्बन्ध में पुरी के शंकराचार्य जी को ज्ञात होने पर उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया गया कि हमारे द्वारा किसी का समर्थन नहीं किया गया ।(जिसकी छायाप्रित आपको उपलब्ध करा रहा हूं ।) उक्त सारी घटना के उपरान्त सदानन्द तथा अविमुक्तेश्वरानन्द शृंगेरी पंहुच गये जहां पहुंचने के उपरान्त दिनांक 26-09-2022 को शृंगेरी के भारती तीर्थ महाराज जी द्वारा उक्त दोनों के सांकेतिक रूप में अभिषेक का नाटक किया इससे साबित होता है कि फर्जी वसीयत के आधार पर दिनांक 12-09-2022 को जो अभिषेक का दावा किया गया था वह पूर्ण रूप से अमान्य एवं झूठा है । जिसके पश्चात शृंगेरी के भारती तीर्थ महाराज जी द्वारा सार्वजनिक रूप से शृंगेरी में यह घोषणा की गयी कि अभी मैं शृंगेरी में दोनों का सांकेतिक रूप में अभिषेक कर रहा हूं और शास्त्र विधिविधान से दिनांक 14-10-2022 को द्वारका में सदानन्द जी का तथा दिनांक 17-10-2022 को ज्योतिर्मठ में अविमुक्तेश्वरानन्द का अभिषेक

सम्पन्न होना है जिसे आज से 20 दिन के बाद हमारा शिष्य स्वामी विधुशेखर भारती वहां आकर करेंगे । (यहां यह उल्लेखनीय, विशेलेषणीय है कि विधुशेखर भारती केवल शृंगेर की शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ महाराज का केवल शिष्य है न कि शंकराचार्य अथवा शारदापीठाधीश्वर।) उक्त सम्बन्ध में विडियो आपको उपलब्ध करा रहा हूं । शृंगेरी में भारती तीर्थ महाराज द्वारा उक्त दोनों के अभिषेकों के सम्बन्ध में दिनांक 26-09-2022 को घोषणा के पश्चात मेरे द्वारा अपने उच्चतम न्याया0 में नियुक्त अधिवक्ता अनुराग राना को सूचित किया गया जिनके द्वारा प्रकरण में आवश्यक कार्यावाही कर दिनांक 13-10-2022 को उत्तराखण्ड व गुजरात के मुख्य सचिव व द्वारका व चमोली के जिलाधिकारी को उच्चम न्यायालय के पूर्व में निर्गत आदेशों से अवगत कराते हुये उक्त फर्जी वं अमान्य अभिषेक को रोकने हेतु अनुरोध करने के साथ –साथ लीगल नोटिस भेजा गया । उपरोक्त समस्त विषयों से यह स्पष्ट है कि दिनांक 12-09-202 को अभिषेक किये जाने का दावा झूठा है तथा शृंगेरी में किया गया सांकेतिक रूप में किया गया अभिषेक भी झूठा एवं अमान्य है । दिनांक 14-10-2022 को विधुशेखर भारती का द्वारका जाकर सदानन्द सरस्वती जी का किया गया अभिषेक भी झूठा हैं क्योंकि द्वारका में भी विधुशेखर भारती द्वारा स्वयंम को आचार्य के रूप में ख्यापित कर आदिशंकराचार्य परम्परा को खण्डित किया गया ।इतना ही नहीं द्वारका के पश्चात दिनांक 16-10-2022 को भी विधुशेखर भारती , सदानन्द सरस्वती तथा अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती , श्री वी0आर0 गौरीशंकर , चन्द्रप्रकाश उपाध्याय ,सुबुद्धानन्द ब्रह्मचारी के साथ बद्रीनाथ आया तथा दिनांक 17/18 -10-2022 को ज्योतिर्मठ , जोशीमठ में आकर पूर्व से योजित सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया । जिसमें उनके द्वारा धाखाधडी ,छल-कपट शंकराचार्य जी की परम्परा का अपमान व अवमानना व ज्योतिर्मठ की अवमानना है ।

1- विधुशेखर भारती द्वारा अपने आपको खुद ही “जगतगुरू शंकराचार्य” के रूप में स्वहस्ताक्षरी पत्र में उदघोषित किया गया जबकि वह जगतगुरू शंकराचार्य नहीं है ।

2- विधुशेखर भारती द्वारा अपने आपको खुद ही “शृंगेरी शारदापीठाधीश्वर” के रूप में स्वहस्ताक्षरी पत्र के माध्यम से उदघोषित किया गया जबकि वह जगतगुरू शंकराचार्य नहीं है ।

3- आदिशंकराचार्य मठाम्नाय महानुशासनम के अनुसार श्लोक 61 के नियमों के अनुसार

एक एवाभिषेचयः स्यादन्ते लक्षणसम्मतः ।

तत्तपीठे क्रमेणैव न बहु युज्यते क्वचित् ।।

अर्थात (आचार्य के) ब्रह्मलीन होने पर पूर्वोक्त लक्षणों से सम्पन्न) एक ही आचार्य का अभिषेक सम्बन्द्ध पीठों पर (तत्तत् पीठ की मर्यादा के अनुसार) एक-एक का करना चाहिए। एक से अधिक आचार्य एक ही पीठ पर उचित नहीं । इस नियम के अनुसार वर्तमान में शृंगेरी शारदा पीठ में विराजमान शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ जी महाराज जब तक भारती तीर्थ जी महाराज आचार्य के रूप में पीठस्थ रहेंगे तब तक कोई अन्य या उत्तराधिकारी अथवा सन्यासी शारदापीठाधीश्वर के रूप में या शारदापीठ के शंकराचार्य के रूप में व्यवहार करना संचार करना खुद को प्रचार करना स्वहस्ताक्षर करके उदघोषणा करना सम्पूर्ण निषेध है । इसके साथ-साथ विधुशेखर भारती असली शंकराचार्यों की पीठ का अवमानना करते हुये शंकराचार्य धारण करने वाले छत्र-छावरं , सिंहासन विरूदावली इत्यादि धारण करना भी शास्त्र नियमों को विरुद्ध आदि शंकराचार्य मठाम्नाय महानुशासन की अवहेलना एसा फर्जी शंकराचार्य बनकर हमारा उत्तराखण्ड ज्योतिर्मठ में आकर यहां भक्तादि ,जनसामान्य लोगों को अधिकारी गणों को मन्दिर समिति को विशेष रूप से ज्योतिर्मठ को धोखा देना सर्वदा फर्जीवाडा के काम हैं जब तक तत्तत पीठ आचार्य जीवन्त रहते हुये कोई अन्य व्यक्ति आचार्य स्थान को दावा नहीं कर सकता है पीठस्थ आचार्य ब्रह्मलीन होने के पश्चात 12 दिन की आराधना कार्यक्रम विधि विधान से समाधि कार्या सम्पन्न होने के बाद आदि शंकराचार्य अपने मठाम्नाय मठानुशासन में उल्लेखित किया गया , नियमों के अनुसार विद्वत मनीषीय लोग मिलकर श्लोक संख्या (48)

शुचिर्जितेन्द्रियो वेदवेड्गदिविशारदः ।

योगज्ञः सर्वशास्त्राणां स मदास्थानमाप्नुयात् ।।

अर्थात जो पवित्र , जितेन्द्रीय, वेद तथा उसके (छहो) अङ्गों (शिक्षा,कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छन्द और ज्योतिष) आदि में पारंगत हो और सभी शास्त्रों अर्थात् इतिहास , पुराण, तथा शास्त्रीय उपाख्यानों में समन्वय की बुद्धि रखने वाला हो, वह मेरे पीठ का अधिकारी है । ऐसे लक्षण सम्पन्न अधिकारी को ही चारों पीठों में शंकराचार्य बनने के लिए योग्य हैं । यहां सोचनीय विषय यह है कि विधुशेखर भारती स्वामी जी आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित नियमों को सुस्पष्ट उल्लघंन करके फर्जी जगतगुरू , फर्जी शंकराचार्य , फर्जी शारदापीठाधीश्वर बनकर धर्म को जनता को मेरे ज्योतिर्मठ को

धोखा देना अत्यन्त आपराधिक कृत्य है । ऐसा फर्जी व्यक्ति के बारे में भी आदि शंकराचार्य जी अपने मठाम्नाय महानुशासन में निग्रह की बात की है । ऐसा कोई दावा करने लगा तो ऐसे लोगों को

उक्तलक्षणसम्पन्नः स्याच्चेन्मत्पीठभाग् भवेत् ।

उन्यथारूढपीठोऽपि निग्रहार्हो मनीषिमाम् ।।

श्लोक (48) अर्थात यदि ऊपर बतलाये गये लक्षणों से युक्त व्यक्ति हो तभी वह मेरे पीठ के ग्रहण का अधिकारी हो सकता है , अन्यथा पीठारूढ हो जाने पर भई मनीषियों के द्वारा (अनधिकारी) पीठ से हटा दिया जाना चाहिये ।

इस अनुशासन के आदेश पर उक्त विधुशेखर भारती न केवल भक्त लोगों के साथ छल-कपट किया अपितु आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठों में नियमों का भी उल्लंघन करके संयासी भी कहने के लिए योग्य नहीं रहा । ऐसा व्यक्ति आगे शृंगेरी में भी विराजमान होने के लिए भी अनधिकारी अयोग्य साबित होता है । यहां शृंगेरी वाले इस कुकार्य से बचने के लिए यह भी झूठा तर्क सामने रखेंगे कि हमारी शृंगेरी पीठ में यह सम्प्रदाय है कि एक आचार्य जीवन्त रहते हुये भी दूसरा सन्यासी को अभिषिक्त करने का प्रावधान है ।जबकि मठाम्नाय महानुशासन के अनुसार एक से अधिक आचार्य एक ही पीठ पर सर्वथा मान्य नहीं हैं । इन सारे विषयों से स्पष्ट होता है कि

विधुशेखर भारती न शंकराचार्या हैं ना हि शारदापीठाधीश्वर है । अतः उसके द्वारा जोशीमठ क्षेत्र में स्वयं को शंकराचार्य व शारदापीठाधीश्वर के रूप में स्वहस्ताक्षरी पत्र के माध्यम से प्रसारित एवं प्रचारित कर जनभावना व उनकी धार्मिक आस्था और सन्यासी धर्म के खिलाफ खिलवाड एवं धोखा करना के सम्बन्ध में आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने साथ–साथ शंकराचार्य , मठाधीश्वर व पीठाधीश्वर के नाम पर हमारे ज्योतिर्मठ एवं श्री बद्रीनाथ तथा केदारनाथ इत्यातिउत्तराखण्ड के अन्य धार्मिक स्थलों में ऐसे फर्जी व्यक्तियों के प्रवेष को निषेध करते हुये उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाय । साथ ही शृंगेरी शारदापीठाधीश्वर एवं शंकराचार्य के नाम पर सुरक्षा मानकों व प्रशासनिक व्यवस्थाओं का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में विधुशेखर भारती के विरुद्ध जांचकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाय तथा भविष्य में भी ऐसे किसी व्यक्ति को शंकराचार्य व पीठाधीश्वर के नाम पर उत्तराखण्ड में प्रवेश पर रोक लगाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें । कानून व्यवस्था को बनाये रखने की दृष्टि से उक्त विषय के सम्बपन्ध में समस्त मन्दिर समिति तथा उनके पदाधिकारियों को भी सूचित करने की कृपा करें ।

मठाश्चत्वार आचार्याचत्वारश्चधुरन्धराः । सम्प्रदायाश्च चत्वार एषा धर्मव्यवस्थितिः

Correspondence Office Address:
Jagadguru Shankaracharya Uttaramnaya Badari Jyotirmath Badarikashram Seva Samiti,

Delhi Contact: Office New Delhi E-131, B.K Dutt Colony, Lodhi Road,

Contact email: jyotirmathbadari@gmail.com info@badarijyotirmath.org

Karnatraka Contact: Pampakshetra Kishkindha Swarna Hampi , New Hampi , Hospet T.Q , Vijayanagara District , Karnataka ,

स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य दण्डी स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने लगाया आरोप

सदानंद सरस्वती, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और विधुशेखर भारती पर उठाए सवाल

धर्म संवाददाता | नागपुर

बदरी ज्योतिर्मठ द्वारका शारदा पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के शिष्य दण्डी स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने आरोप लगाया कि श्री शंकराचार्य के नाम को लेकर कोर्ट, भक्तों, समाज और प्रशासन को धोखा देने वाले अनेक असामाजिक और आपराधिक केस में आरोपी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (वाराणसी उ.प्र.), सदानंद सरस्वती (झोतेश्वर नरसिंहपुर जिला म.प्र.) तथा विधुशेखर भारती (शृङ्गेरी, कर्नाटक) फर्जी हैं। स्वामीजी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जहां सदानंद सरस्वती (झोतेश्वर नरसिंहपुर जिला म.प्र.) तथा अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (वाराणसी उ.प्र.) द्वारा स्वयं को शंकराचार्य घोषित करने पर रोक लगाई है वहीं भारत धर्म महामंडल तथा काशी विद्वत परिषद सहित अनेक प्रमुख संगठनों ने दोनों को शंकराचार्य मानने से इनकार किया है। श्री आदि शंकराचार्य स्थापित 4 आम्नाय पीठ प्रक्षालन अभियान के अंतर्गत जनजागरण हेतु भारत भ्रमण पर निकले दण्डी स्वामी गोविंदानंद सरस्वती सोमवार को नागपुर पधारे। उन्होंने रविभवन में आयोजित पत्र-परिषद में आरोप लगाया कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के ब्रह्मलीन होने के दूसरे दिन ही सदानंद सरस्वती (झोतेश्वर नरसिंहपुर जिला म.प्र.) ने बदरी ज्योतिर्मठ तथा अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने द्वारका शारदापीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक करवा लिया। इसमें शृङ्गेरी पीठ के विधुशेखर भारती ने साथ दिया। फर्जी वसीयत और फर्जी पत्र के आधार पर छल से दोनों पीठ पर कब्जा करने का प्रयास किया। इस पर आपत्ति जताते हुए स्वामी गोविंदानंद

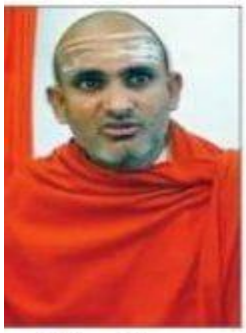

सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दायर की जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ आदेश दिया और अभिषेक पर रोक लगा दी। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने कहा कि स्वयं बदरी ज्योतिर्मठ द्वारका शारदा पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने अपने जीवन काल में घोषणा की थी कि हमने न किसी को उत्तराधिकारी घोषित किया है, न ही किसी को शंकराचार्य घोषित किया है। यह भी कहा था कि शंकराचार्य परंपरा में शंकराचार्य की नियुक्ति के लिए वसीयत या उत्तराधिकारी की मान्यता का विधान ही नहीं है, लेकिन तीनों संन्यासियों सदानंद सरस्वती, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती तथा विधुशेखर भारती ने समस्त शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मूल पीठों का अपमान किया।

गोविंदानंद सरस्वती ने कहा कि तीनों व्यक्ति कहीं भी शंकराचार्य का दावा करते हैं तो उनके खिलाफ निकटस्थ पुलिस थाने में केस दर्ज कराएं और उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले करें। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कोई इन तीनों से सवाल करता है, सबूत मांगता है तो ये सवाल करने वाले व्यक्तियों को मारने की कोशिश करते हैं। उनके (गोविंदानंद सरस्वती) के साथ भी ऐसा ही हुआ। गोविंदानंद सरस्वती ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में केस हारने के डर से तीनों संन्यासियों के लोगों ने उनकी (गोविंदानंद सरस्वती) की हत्या के लिए 14 गुंडों के साथ सुपारी किलर चंद्रप्रकाश उपाध्याय को भेजा, लेकिन किसी तरह वे बच गए, लेकिन भागने के दौरान दोनों पैर कट गए। खंडित एफआईआर फिर से दर्ज की गई, इन लोगों से पूछताछ जारी है। अब वे ठीक हो गए हैं और सारी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।

नवभारत

गोविंदानंद ने ढोंगी बाबाओं के खिलाफ चलाया अभियान

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सहित 3 लोगों को बताया फर्जी

■ नागपुर. महानगर प्रतिनिधि. बदरी ज्योतिर्मठ द्वारका शारदा पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य दण्डी स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने धर्मपीठों को ढोंगी बाबाओं से बचाने के लिए अभियान शुरू किया है. उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (वाराणसी उ.प्र), विधुशेखर भारती (शृंगेरी, कर्नाटक) और सदानंद सरस्वती (नरसिंहपुर, म.प्र) को फर्जी घोषित करते हुए इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि फर्जी बाबाओं से धर्मपीठों की रक्षा करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है. साथ ही इस मामले में कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है. गोविंदानंद सरस्वती ने कहा कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की मौत के दूसरे ही दिन अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया. उन्होंने गुरुदेव की तेरहवीं होने का भी इंतजार नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके शंकराचार्य होने के लिए अभिषेक पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया है. इसके बावजूद वे स्वयं को शंकराचार्य बताकर जनता से धोखाधड़ी कर रहे हैं और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं. उन्होंने जनता से अपील की कि तीनों लोग कहीं भी शंकराचार्य होने का दावा करते हैं तो तुरंत इनके खिलाफ निकटतम पुलिस थाने में केस दर्ज कराएं और उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले करें.

शंकराचार्य बनने का है नियम

स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने कहा कि आदि शंकराचार्य ने चार धर्मपीठों की स्थापना करने के बाद इनके कार्यक्षेत्र और शंकराचार्य बनने की योग्यताओं का निर्धारण भी किया था. यह आदि शंकराचार्य रचित पुस्तक 'महाम्नाय अनुशासनम' में वर्णित है. कोई भी शंकराचार्य वसीयत के आधार पर अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते हैं. इस मामले में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अपने जीवनकाल में ही स्पष्ट कर दिया था कि उन्होंने ज्योतिषपीठ एवं द्वारका शारदा पीठ दोनों पीठों पर किसी को उत्तराधिकारी एवं शंकराचार्य घोषित नहीं किया है.

Nagpur Edition
01-november-2023 Page No. 2
epaper.enavabharat.com

GOLMAAL
FUN UNLIMITED
Best of Comedy Scenes
Pattabhishekam Golmall Drama
IVE
जोशीमठ
साधना
संपर्क सूत्रः 01389-222185, 7417417414
Liar Avimukteshwarananda झूठे अवमिुक्तेशुवरानंद

दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी शारदा पीठाधीश्वराणां,पश्चिमाम्नाय द्वारका -शारदापीठाधीश्वराणां तथा च उत्तराम्नाय ज्योतिष्पीठाधीश्वराणां जगद्गुरूणां अनुग्रहसन्देशः ॥

संवत् 2079 विक्रमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी तदनुसार दिनांक 18 अक्टूबर 2022 ई.

1- सर्वेऽपि सनातनधर्मावलम्बिनः ऐकमत्ययुक्ताः भवन्तु। परस्परं कदापि कलहः न कर्तव्यः।

2- सनातनधर्मावलम्बिभिः कदापि स्वीयः धर्मः न त्यक्तव्यः। अज्ञानेन अन्यथाज्ञानेन वा यैः त्यागः कृतः ते सर्वेऽपि पुनः अमुं स्वीयं धर्मं स्वीकर्तुमर्हन्ति।

3- आसेतुशीताचलं सर्वैरपि सनातनधर्मावलम्बिभिः स्वस्वगृहेषु परशिवावताराणां सनातनधर्मोद्धारकाणां जगद्गुरु श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाचार्याणां मूर्तिर्वा चित्रं वा स्थापयित्वा पूजा कर्तव्या। प्रतिवर्षं वैशाख शुक्ल पञ्चम्यां श्रीशङ्कराचार्यजयन्त्युत्सवः अवश्यं आचरणीयः। प्रत्यहं श्रीशङ्कराचार्यैः विरचितानि स्तोत्राणि पठनीयानि।

4- सनातन हिन्दूधर्मः अत्यन्तं श्रेष्ठः समस्त प्रपञ्चकल्याणहेतुः च विराजते। अस्य विषये अज्ञानेन भ्रान्त्या वा कैश्चित् प्राज्ञंमन्यैः ये निस्साराः आक्षेपाः क्रियन्ते ते नादर्तव्याः। यदि युष्माकं मनसि धर्मस्य विषये सन्देहाः भवन्ति तर्हि ते सर्वेऽपि विदुषां जगद्गुरूणां वा मार्गदर्शनेन परिहर्तव्याः।

5- सकल देवतास्वरूपिणी गौः अस्माकं अत्यन्तं पूजनीया। अतः सर्वत्र गोहत्यानिषेधः भवतु। गोमातुः राष्ट्रमातृरूपेण उद्घोषणं भवतु।

6- सर्वेष्वपि गृहेषु बालानां कृते प्रत्यहं श्रीमद्रामायण- महाभारतादि सत्कथापाठनं भवतु। युवजनाः अस्माकं देशस्य अक्षयसम्पद्-रूपाः। ते सर्वेऽपि विद्यासंस्कारादि सद्गुणशालिनः धर्मश्रद्धालवः कार्याकार्यविवेकवन्तः देशस्यास्य सर्वतोमुखाभिवृद्धौ कटिबद्धाः भूत्वा श्रेयोभाजः भवन्तु।

7- तीर्थाटने पर्यटने च भेदः अस्ति। तीर्थानां तीर्थोचितः विकासः आवश्यकः।

8- इदमेव अस्माकं अभिप्रेतमस्ति तदर्थं अग्रेपि काले-काले एवमेव चतुराम्नायपीठाधीश्वराणां सम्मेलनानि आयोजयिष्यन्ते।

विधुशेखरभारती

महास्वामी विधुशेखर भारती

(शृंगेरी शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य)

सदानन्द सरस्वती

स्वामी सदानन्द सरस्वती

(द्वारका शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य)

स्वामिश्रीः अविमुक्तेश्वरानन्दः सरस्वती

(ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य)

॥ श्रीशंकराचार्यो विजयतेतराम् ॥ ॥ जय बद्रीविशाल ॥

धर्म की जय हो! अधर्म का नाश हो! प्राणियों में सद्भाव हो! विश्व का कल्याण हो!

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

पूज्यपाद अनन्तश्रीविभूषित पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदापीठाधीश्वर
जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी
श्री सदानन्द सरस्वती जी महाराज

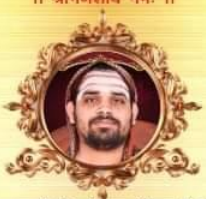

पूज्यपाद अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी शारदापीठाधीश्वर
जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी
श्री विधुशेखर भारती जी महाराज

पूज्यपाद अनन्तश्रीविभूषित उत्तराम्नाय ज्योतिर्पीठाधीश्वर
जगद्गुरु शङ्कराचार्य
स्वामिश्रीः अविमुक्तेश्वरानन्दः सरस्वती जी महाराज

दक्षिण-पश्चिम-उत्तराम्नायपीठाधीश्वर श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्य-महामहासम्मेलनाह्वानम्

तिथि कार्तिक कृष्ण सप्तमी तदनुसार दिनांक १७ अक्टूबर २०२२ **समय** मध्यान्ह १०:३० से १:३० बजे तक **स्थान** जे.पी. मैदान, रविग्राम.जोशीमठ, चमोली

महोदय,

उत्तराखण्ड की पावन धरती देवभूमि के रूप में ख्यात है। वेदव्यासादि गुरुओं की भी वह स्पृहास्थली रही है। वही कारण है कि भगवान् आद्य शंकराचार्य जी ने इसी स्थान पर बैठकर अपने भाष्य लिखे और आत्मज्योति के दर्शनार्थ स्वयं द्वारा स्थापित चार आम्नाय मठों के क्रम में तृतीय ज्योतिर्मठ की स्थापना की।

इस पीठ के आचार्य के रूप में आदि आचार्य तोटकाचार्य जी समेत अनेक आचार्यों ने क्षेत्र को अपनी अलौकिक आभा से आलोकित किया है। इधर बीच के ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती जी, ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी और ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज ऐसी ही विभूति रहे हैं।

वह ज्योतिर्मठ का सौभाग्य है कि विगत संवत् २०७९ विक्रमी आश्विन कृष्ण द्वितीया तदनुसार दिनांक १२ सितम्बर २०२२ को अभिषिक्त अभिनव ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामिश्रीः अविमुक्तेश्वरानन्दः सरस्वती जी महाराज के भावपूर्ण आमन्त्रण को स्वीकार कर पूज्यपाद दक्षिणाम्नाय शृंगेरी शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य महास्वामी विधुशेखर भारती जी महाराज एवं पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य महास्वामी सदानन्द सरस्वती जी महाराज ज्योतिर्मठ पधार रहे हैं।

इस अवसर पर क्षेत्रवासियों को एक साथ तीन आम्नाय पीठों के पूज्यपाद जगद्गुरुओं के दर्शन-प्रवचनादि का लाभ प्राप्त होगा। उक्त आयोजित विविध कार्यक्रमों में आप सब सादर आमन्त्रित हैं।

मुख्य कार्यक्रम तीनों पूज्य आचार्यों के अभिनन्दन और आशीर्वचन श्रवण का है जो आगामी कार्तिक कृष्ण सप्तमी तदनुसार दिनांक १७ अक्टूबर २०२२ को मध्याह्न ११.३० से १.३० तक रविग्राम के जे. पी. मैदान में सम्पन्न होगा।

निवेदक : **महामहासम्मेलन स्वागत समिति**

ज्योतिर्मठ, बदरिकाश्रम, हिमालय तोटकाचार्य गुफा, जोशीमठ, चमोली - २४६४४३ (गढ़वाल) उत्तराखण्ड
दूरभाष : 01389-222185 • चलभाष/व्हाट्स अप : 7417417414 • ई-मेल : shreejyotirmathah@gmail.com • वेबसाइट : http://shreejyotirmathah.org

विधुशेखरभारती

महास्वामी विधुशेखर भारती

(शृंगेरी शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य)

स्वामी सदानन्द सरस्वती

(द्वारका शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य)

स्वामिश्रीः अविमुक्तेश्वरानन्दः सरस्वती

(ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य)

श्री शंकराचार्य मठ श्री शारदापीठम् - द्वारका
13 October 2022 ·

श्री #शंकराचार्यपीठाधिरोहण एवं #महाभिनंदन समारोह
श्री शंकराचार्य मठ शारदापीठ द्वारका में
अनंत श्री विभूषित श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य #महास्वामी श्री #विधुशेखर #भारती तीर्थ जी महाराज का आगमन हुआ ।
भव्य रूप से श्रृंगेरी जगद्गुरू शंकराचार्य जी महाराज का स्वागत, एवं अभिनंदन किया गया।
#हिंदू #सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य

अनंत श्री विभूषित श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु #शंकराचार्य #महास्वामी श्री #विधुशेखर भारती तीर्थ जी महाराज

अनंत श्री विभूषित द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु #शंकराचार्य स्वामी श्री #सदानन्द सरस्वती जी महाराज

अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु #शंकराचार्य स्वामी श्री: #अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज

श्री #शंकराचार्य मठ #शारदापीठ द्वारका में विराजमान।

Sri Sri Jagadguru Shankaracharya Mahasamsthanam
Dakshinamnaya Sri Sharada Peetham, Sringeri 577139
Chikkamagaluru district. Ph: 08265 250123 / 250192

TOUR PROGRAMME OF
His Holiness Jagadguru Sri Sannidhanam
of Dakshinamnaya Sri Sharada Peetham

In the state of Karnataka from 24.3.2022 to 30.3.2022

Date	Place of Departure	Place of Arrival	District
24.03.2022	Sringeri	Chikkamagaluru	Chikkamagaluru
25.03.2022	Halt at Chikkamagaluru		
26.03.2022	Chikkamagaluru	Ganapatipura*	Hassan
27.03.2022	Ganapatipura*	Kanakatte	"
28.03.2022	Kanakatte	Banavara	"
29.03.2022	Banavara	Ramanathapura	"
30.03.2022 Morning	Ramanathapura	Haradanahalli	"
Evening	Haradanahalli	Sringeri	Chikkamagaluru

* Bittagowdanahalli

Sringeri
28.02.2022

Private Secretary
to His Holiness Jagadguru Shankaracharya
of Dakshinamnaya Sri Sharada Peetham, Sringeri

Why it is mentioned "Jagadguru" here
If he is Shankarachaya why it is not mentioned in this

I Want Answers for this from
Sri Bharati Teertha Swamiji and Vidhushekhara Bharati Swamiji before completion of Mahaganapati Vakyartha Sabha,

If both faild to answer me

Very simple

According to Mathamnaya Mahanushasanam I wll call for Darma Sansad in Karnataka and implement

“ Anyatharudha Peethopi Nigraharsho Maneeshinaam”

I Want Answers for this from
Sri Bharati Teertha Swamiji and Vidhushekhara Bharati Swamiji before completion of Mahaganapati Vakyartha Sabha,
how Sringeri Swamiji allowed Paramahamsa Parivrajaka Sanyasa Deeksha to a Vaishya ?

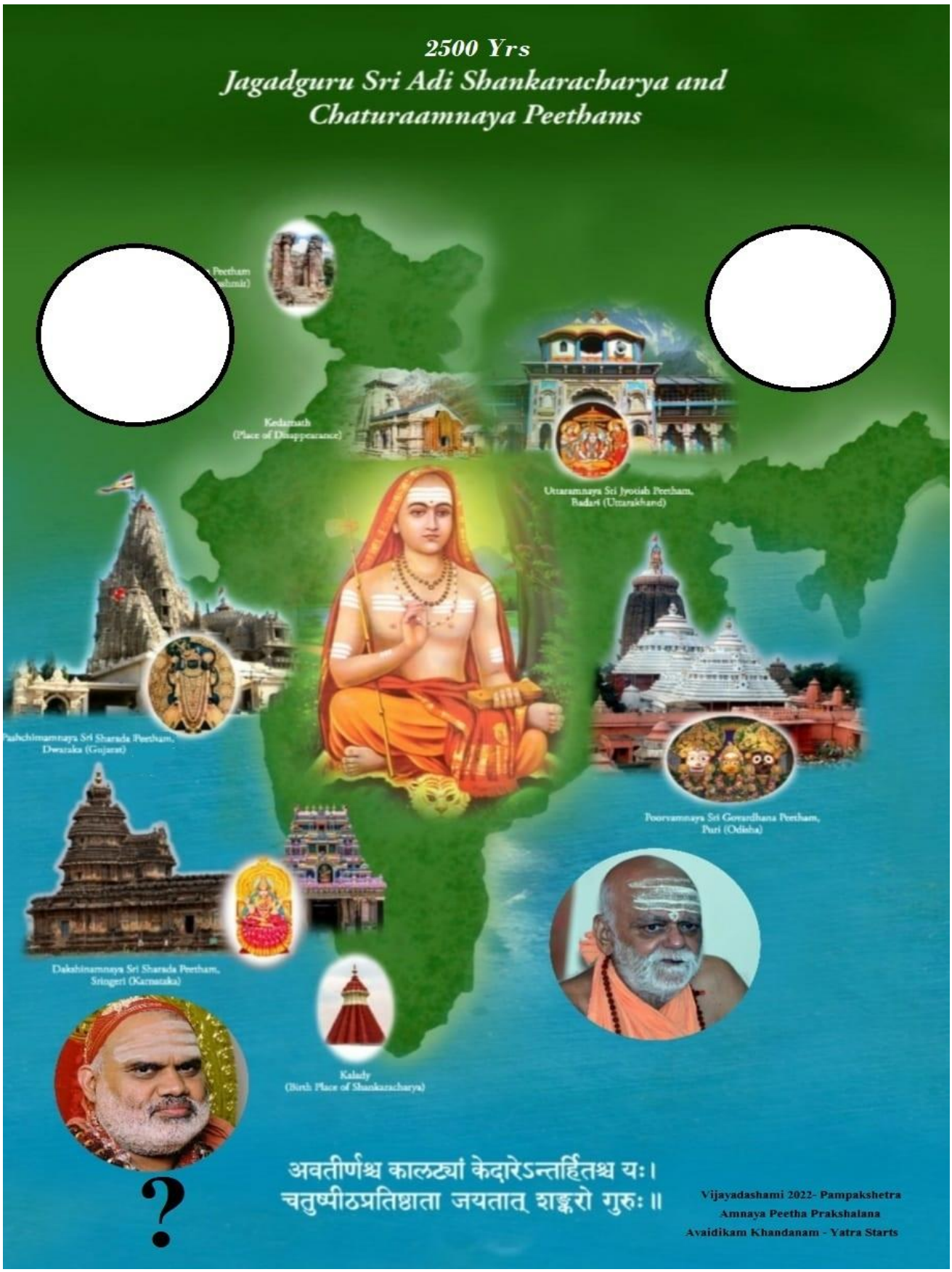

2500 Yrs
Jagadguru Sri Adi Shankaracharya and
Chaturaamnaya Peethams
Kedarnath
(Place of Disappearance)
Uttaramnaya Sri Jyotish Peetham,
Badari (Uttarakhand)
Pashchimamnaya Sri Sharada Peetham,
Dwaraka (Gujarat)
Poorvamnaya Sri Govardhana Peetham,
Puri (Odisha)
Dakshinamnaya Sri Sharada Peetham,
Sringeri (Karnataka)
Kalady
(Birth Place of Shankaracharya)
अवतीर्णश्च कालट्यां केदारेऽन्तर्हितश्च यः।
चतुष्पीठप्रतिष्ठाता जयतात् शङ्करो गुरुः॥
?
Vijayadashami 2022- Pampakshetra
Amnaya Peetha Prakshalana
Avaidikam Khandanam - Yatra Starts

8:38
87%
किसी भी न्यायालय में
हम शंकराचार्य
हैं कि नहीं, इसका
कोई मुकदमा नहीं है
535
56
58
Send
1008.Guru
Follow
किसी भी न्यायालय में हम श... m...
जगद्गुरु शङ्कराचार्य
स्वामिश्रीः अविमुक्तेश्वरानन्दः सरस्वती '1008'

LIVE **भास्कर अपडेट्स: SC ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में अभिषेक रोका**

नई दिल्ली | 29 मिनट पहले

शेयर

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य के रूप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अभिषेक पर रोक लगा दी है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने यह आदेश दिया है।

आज की अन्य बड़ी खबरें...

नीतीश कुमार का स्टीमर गंगा में जेपी सेतु से टकराया,

जागरण

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज, गैरजमानती वारंट के बाद हो चुका है कुर्की का आदेश

प्रतिकार यात्रा के सात साल पुराने मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अदालत से राहत नहीं मिली। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सियाराम चौरसिया ने शुक्रवार को अग्रिम जमानत की उनकी अर्जी खारिज कर दी। पांच अक्टूबर 2015 को निकाली गई प्रतिकार यात्रा के दौरान भगदड़ आगजनी और बवाल हुआ था।

अनन्त श्री विभूषित द्वारकाशारदापीठाधीश्वर एवं ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य

स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज

श्रीशारदापीठम्
द्वारका, जामनगर, गुजरात
दूरभाष : 02892-235109

ज्योतिर्मठ
त्रोटकाचार्य गुफा, चमोली, गढ़वाल, उत्तराञ्चल
दूरभाष : 01389-222185

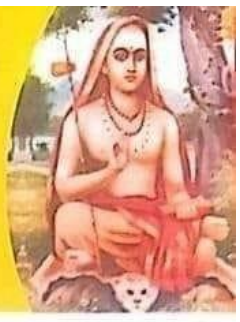

क्रमाङ्क :

दिनाङ्क : 22/11/20
स्थल : परमहंसी

प्रेस नोट

समाचार पत्रों के माध्यम से आज हमको यह जानकारी प्राप्त हुई कि स्वामी वासुदेवानन्द के प्रवक्ता ने हमारे ऊपर मुकदमा चलाने की धमकी दी है।जहाँ तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बात है तो वह हमारे दण्डी संन्यासी शिष्य हैं उनको हमने बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बन्द होने के उपलक्ष्य में हमारे प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर भेजा था उसके बाद त्रोटकाचार्य गुफा जो ज्योतिर्मठ जो कि हमारा व्यक्तिगत मठ है।वहाँ पर हमारे आदेश से 64 योगिनियों की मूर्ती की प्राण प्रतिष्ठा की गई है।

उत्तराखंड में मार्ग व्यवस्थित न होने के कारण हम स्वयं ज्योतिर्मठ नहीं पहुंच पाए इसलिए उनको आदेश किया कि वह वहाँ पर 64 योगिनियों का पूजन सम्पन्न करें।

रहा ज्योतिर्मठ का विषय तो वहां पर तीन मठ हैं जो मूल मठ है। वह मंदिर समिति के पास है

दूसरा मठ त्रोटकाचार्य गुफा जहाँ है । वह जगह हमारे द्वारा खरीद कर मठ का निमार्ण किया गया है।तीसरा मठ जो स्वामी ब्रह्मा नन्द जी द्वारा बनाया गया है।उस पर विवाद है। जहां तक रेबेन्यू बोर्ड ने भी उस मठ पर हमारा अधिकार माना है और राजस्व विभाग के अभिलेखों में हमारा नाम दर्ज करने का आदेश किया है।बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिर समिति ने भी प्रस्ताव पास करके हमको ज्योतिर्मठ ज्योतिषपीठाधीश्वर शंकराचार्य माना है।वर्तमान स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने भी हमको ही ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य माना है।

हमारे द्वारा अभी तक ज्योतिष पीठ एवं द्वारकाशारदापीठ दोनो पीठों पर किसी को अधिकृत रूप से उत्तराधिकारी एवं शंकराचार्य घोषित नहीं किया गया है।

अगर कोई इस प्रकार की बात करता है।

तो यह उसका अपना मत हो सकता है।

हमारे द्वारा कभी इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं कि गई है यह भ्रामक बातें इनका संचालन भी हम ही देखते हैं।

जहां तक माफी मांगने की बात बोली गई है तो हम इस मे यह कहना चाहते हैं कि अभी तक मुकदमों के फेसले आये हैं उन सभी के आदेशों में स्वामी वासुदेवानंद को किसी भी कोर्ट ने ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य नहीं माना।

और विशेष कर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो उनको संन्यासी भी नहीं माना गया।

फिर भी वह सनातन धर्म को मानने वाली जनता को गुमराह कर रहे हैं।

इसलिए इनको समस्त सनातन परंपरा एवं जनमानस से माफी मांगनी चाहिए।

प्रयाग कुम्भ, माघ मेला, प्रशासन भी हमको ज्योतिर्मठ ज्योतिषपीठाधीश्वर शंकराचार्य के रूप में भूमि एवं सुविधाएं देता है।

इसलिए स्वामी वासुदेवानन्द को असत्य भाषण करने वचना चाहिए।

जगद्गुरू शंकराचार्य ज्योतिष एवं द्वारकाशारदापीठाधीश्वर
स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती

PRAYER:

In light of the above stated facts and circumstances, this hon'ble Court may be pleased to:

[a] Kindly restrain *Jyotispeeth* of Badrinath or any other organization from holding any *Pattabhishek* ceremony of either Swami Shri Avimukteshwaranand Saraswati or anyone else for being appointed as H.H. Shankaracharya of Jyothispeeth either on 17.10.2022 or thereafter till the captioned appeals are finally heard and decided.

[b] Pass any other or further order as this Hon'ble Court may think fit in the interest of justice.

DRAWN BY: FILED BY:

(SANTOSH KUMAR)
ADVOCATE

(YADAV NARENDER SINGH)
ADVOCATE
FOR THE PETITIONER

NEW DELHI
DATED: 12.10.2022

ITEM NO.849 COURT NO.1 SECTION III-A

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Civil Appeal No(s). 3010/2020

JAGAT GURU SHANKARCHARYA
JYOTISHPEETH P.S.S.N SARASWATI Appellant(s)

VERSUS

SWAMI VASUDEVANAND SARASWATI
DISCIPLE OF S.H.N. SARASWATI Respondent(s)

WITH
IA. NO.153943/2022 IN C.A. No. 3011/2020 (III-A)

IA 140463/2022 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA 140464/2022 - FOR EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA 140466/2022 - CLARIFICATION/DIRECTION
IA 140467/2022 -EXEMPTION FROM FILING O.T.)

Date : 12-10-2022 This application was Mentioned today.

CORAM :
HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE AJAY RASTOGI
HON'BLE MR. JUSTICE S. RAVINDRA BHAT

For Parties Mr. Tushar Mehta, SG (Mentioned by)
Ms. Manisha Agrawal Narain, Adv.
Mr. Sandeep Kumar Adv.
Mr. Pratyush, Adv.
Mr. Yadav Narender Singh, AOR

Ms. Taruna Ardhendumauli Prasad, AOR

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

I.A. NO.153943/2022 in C.A. No. 3011/2020

As prayed for, list this application before the Bench presided over by Hon'ble Mr. Justice B.R. Gavai on 14th October, 2022.

(NEETU KHAJURIA)
ASTT. REGISTRAR-cum-PS

(VIRENDER SINGH)
COURT MASTER

ITEM NO.73 COURT NO.11 SECTION III-A

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Civil Appeal No(s). 3010/2020

JAGAT GURU SHANKARCHARYA JYOTISHPEETH
P.S.S.N SARASWATI Appellant(s)

VERSUS

SWAMI VASUDEVANAND SARASWATI
DISCIPLE OF S.H.N. SARASWATI Respondent(s)

WITH
C.A. No. 3011/2020 (III-A)
(FOR CLARIFICATION/DIRECTION ON IA 153943/2022, IA No. 153943/2022 -CLARIFICATION/DIRECTION)

Date : 14-10-2022 This appeal was called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE B.R. GAVAI
HON'BLE MRS. JUSTICE B.V. NAGARATHNA

For Parties Mr. Tushar Mehta, SG
Mr. S. Kumar, Adv.
Mr. Madhurendra Sharma, Adv.
Mr. Rajiv Ranjan Mishra, Adv.
Mr. Yadav Narender Singh, AOR

Ms. Taruna Ardhendumauli Prasad, AOR

Mr. Surya Kant, Adv.
Ms. Manish Agrawal Narain, Adv.
Ms. Priyanka Tyagi, Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

I.A. NO. 153943/2022 in C.A. No. 3011/2020

This application is allowed in terms of prayer clause(a).

List I.A. Nos. 154947 and 154952 of 2022 alongwith main matter on 18.10.2022.

(DEEPAK SINGH)
COURT MASTER (SH)

(ANJU KAPOOR)
COURT MASTER (NSH)

ITEM NO.18 COURT NO.13 SECTION III-A

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Civil Appeal No(s). 3010/2020

JAGAT GURU SHANKARCHARYA JYOTISHPEETH
P.S.S.N SARASWATI Appellant(s)

VERSUS

SWAMI VASUDEVANAND SARASWATI DISCIPLE
OF S.H.N. SARASWATI Respondent(s)

(IA No. 140471/2022 - CLARIFICATION/DIRECTION
IA No. 140477/2022 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 140472/2022 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 140476/2022 - INTERVENTION/IMPLEADMENT)

WITH

C.A. No. 3011/2020 (III-A)
(IA No. 140466/2022 - CLARIFICATION/DIRECTION
IA No. 140467/2022 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 140464/2022 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 140463/2022 - INTERVENTION/IMPLEADMENT)

Date : 21-09-2022 These matters were called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE B.R. GAVAI
HON'BLE MR. JUSTICE C.T. RAVIKUMAR

For parties:
Mr. Tushar Mehta, SG
Mr. Santosh Kumar, Adv.
Mr. Rajiv Ranjan Mishra, Adv.
Mr. Sushant Gupta, Adv.
Mr. Yadav Narender Singh, AOR
Ms. Suruchi Yadav, Adv.

Mr. C.A. Sundaram, Sr. Adv.
Mr. Atul Chitle, Sr. Adv.
Ms. Sangeeta Mandal, Adv.
Mr. Arun Kumar Sharma, Adv.
Mr. Ardhendumauli Kumar Prasad, Adv.
Ms. Mamta Tiwari, Adv.
Ms. Taruna Ardhendumauli Prasad, AOR
Mr. Aman Singh Bhadoria, Adv.
Mr. Zafar Inayat Ganai, Adv.

Validity unknown
Digitally signed by DEEPAK SINGH
Date: 2022.09.22 17:44:18 IST
Reason:

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

I.A. Nos. 140466 and 140471 of 2022

Shri C.A. Sundaram, learned senior counsel appearing for the non-applicant(s), submitted that the appointment of Shri Swami Avimukteshwarananda Saraswati as the new Shankaracharya of Jyotishpeeth/Jyotirmath has been endorsed by three other Shankaracharyas of Sharda Math in Gujarat (West), Shringeri Math in Mysore (South) and Governdhan Math at Puri, (East) as well as the Bharat Dharam Mahamandal.

The non-applicant(s) are directed to file their reply, incorporating the aforesaid submissions.

This Court while issuing notice in SLP(C) Nos. 34253 and 36949 of 2017 as well as while granting leave had directed the parties to maintain status quo.

We, therefore, reiterate that the parties shall maintain status quo as has been directed by this Court though its earlier orders.

We clarify that the order of status quo would not come in the way of all the religious ceremonies to be performed due to the samadhi (Brahmeleen) of Pujya Swami Swaroopanand Saraswati.

It will be appropriate that all the interlocutory applications be considered alongwith the main matter(s) finally.

Taking into consideration the controversy involved, we find it appropriate to post these matters for final hearing on 18.10.2022. All the pleadings by all the parties shall be completed by then.

(DEEPAK SINGH)
COURT MASTER (SH)

(VIDYA NEGI)
ASSISTANT REGISTRAR

Listing Date	Case No.	M/R	Item No.	Hon'ble Court	Petitioner/Respondent	Court No.
01-05-2024	Case No. C.A. No. 3011/2020	R	111	HON'BLE MR. JUSTICE B.R. GAVAI,HON'BLE MR. JUSTICE SANDEEP MEHTA	SWAMI VASUDEVANAD SARASWATI DISCIPLE OF SWAMI SHANTANAND SARASWATI Vs. JAGAT GURU SHANKARACHARYA JYOTISHPEETH PEETHADHESHWAR SRI SWAMI SWAROOPANAND SARASWATI	3
01-05-2024	Case No. C.A. No. 3010/2020	R	111	HON'BLE MR. JUSTICE B.R. GAVAI,HON'BLE MR. JUSTICE SANDEEP MEHTA	JAGAT GURU SHANKARCHARYA JYOTISHPEETH P.S.S.N SARASWATI Vs. SWAMI VASUDEVANAND SARASWATI DISCIPLE OF S.H.N. SARASWATI	3
01-05-2024	Case No. CONMT.PET. (C) No. 65/2024 in C.A. No. 3010/2020	R	111	HON'BLE MR. JUSTICE B.R. GAVAI,HON'BLE MR. JUSTICE SANDEEP MEHTA	SWAMY GOVINDANAND SARSWATI JI Vs. SWAMI AVIMUKTESHWARANANDA SARASWATI AND ORS.	3

----------आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

----------अभियोजक

अपराध संख्या- 86/15
अंतर्गत धारा- 147,148,149,332,353,333,307, 395,397,435,436,427,34,188 IPC,7 CLA Act , 3/4 सा०स०नु०नि०अधि०
अंतर्गत थाना- दशाश्वमेध, जिला वाराणसी

आदेश

1- प्रार्थी/अभियुक्त अविमुक्तेश्वरानन्द स्वामी उर्फ जगदगुरू शंकराचार्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 4751/2022, अपराध संख्या- 86/15, अंतर्गत धारा- 147,148,149,332,353,333,307,395,397,435,436,427,34,188 IPC, 7 CLA Act, 3/4 सा०स०नु०नि०अधि०, अंतर्गत थाना- दशाश्वमेध, जिला वाराणसी, अग्रिम जमानत ार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत करते हुये मुख्य रूप से यह अभिकथित किया गया है ार्थी धर्मिक अनुष्ठान, यज्ञादि कार्यक्रम व पूजापाठ राग भोग प्रत्येक दिन की दिन चर्या शामिल है। प्रार्थी के पलायन होने की किसी प्रकार की सम्भवना नहीं हैं। प्रार्थी नातनी हिन्दुओं के सर्वोच्च पद पर आसीन है, जिससे करोड़ों हिन्दुओं की आस्था एवं श्वास जुडी है। उपरोक्त मुकदमा में बहुतेरे अभियुक्तों का जमानत हो चुका है। प्रार्थी को सी ने उपरोक्त अपराध करते नही देखा हैं, न ही किसी के पास प्रमाण ही है कि प्रार्थी यह साबित कर सके की प्रार्थी उक्त घटना का दोषी है। विवेचना अधारा 161 सी आर सी भी स्वयं पुलिस द्वारा ही किया गया है अर्थात पुलिस ही प्रथम सूचना रिपोर्ट कत करायी एवं पुलिस ही जाँचकर चार्ज सीट लगाई, जो स्वयं मे साबित करता है कि घटना व प्रथम सूचना रिपोर्ट दोनों युक्तियुक्त नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा लूटपाट, ा किसने करने का प्रयास किया, आगजनी किसने किया प्रार्थी को जानकारी नही हैं। को पुलिस ही उक्त बलबायियों से बचाव करते हुए दशाश्वमेधघाट ले गयी और प्रार्थी ाव पर बैठाकर आश्रम तक सुरक्षित पहुचाई। उसके बाद भी अभियोजन पक्ष प्रार्थी किसी आधार के व बिना युक्तियुक्त विवेचना के अभियुक्त बनाया। आरोपित अपराध ोची समझी रणनीति के तहत अभियोजन कथानक है। कही भी प्रार्थी पर उक्त धारा पराध साबित विवेचना दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी सूरत ग्रिम जमानत का आधार पर्याप्त है।

वाराणसी के गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान दिनांक 22/23.10.2015 को मान उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश की अवहेलना करते हुए शान्ति व्यवस्था व सु व्यवस्था में मौजूद पुलिस पार्टी पर हमला कर लोक सम्पत्ति का नुकसान किया ग जिसके सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगणों विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। पर्याप्त साक्ष्य समाहित केस डायरी है

3- प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सु तथा जमानत प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया गया।

4- प्रश्नगत मामले में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामले म अभियुक्त अविमुक्तेश्वरानन्द स्वामी उर्फ जगदगुरू शंकराचार्य की उपस्थिति सुनिश्चित न होने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त अविमुक्तेश्वरानन्द स्वामी उर्फ जगदगुरू शंकराचार्य के विरूद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किया गया। तत्पश्चात् गैर जमानती वारंट का निष्पादन न होने पर न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 तथा 83 की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेश निर्गत किया गया है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Prem Shankar Prasad Vs. State of Bihar & Anr Criminal Appeal No. 1209/2021 निर्णय दिनांकित 21.10.2021 में स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि "If anyone is declared as an absconder/proclaimed offender in terms of Section 82 of the Code, he is not entitled to the relief of anticipatory bail." ऐसी दशा में प्रश्नगत मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के दृष्टिगत अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने का आधार पर्याप्त नहीं है।

आदेश

5- तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त अविमुक्तेश्वरानन्द स्वामी उर्फ जगदगुरू शंकराचार्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 4751/2022, अपराध संख्या- 86/15, अंतर्गत धारा- 147,148,149,332,353,333,307,395,397,435,436,427,34,188 IPC, 7 CLA Act, 3/4 सा०स०नु०नि०अधि०, अंतर्गत थाना- दशाश्वमेध, जिला वाराणसी, खारिज किया जाता है।

दिनाँकः- 28.10.2022

(सियाराम चौरसिया) 28.10.22

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-06, वाराणसी।

Supreme court Advocate Legal Notice to Uttarakhand

Chief secretry and D.M dt on 13.10.2022 reg SC Stay on Joshi Math

MS. ANURAG RANA
ADVOCATE
CH. NO.10, R.K. GARG BLOCK
SUPREME COURT OF INDIA
MOB: 9911768954
E-mail: anurag.rana335@gmail.com

Dated: 13.10.2022

TO WHOMEVER CONCERNED

Sir/s,

We have filed the application for impleadment in the SPECIAL LEAVE PETITION (C)NO. 34253 OF 2017 pending in Supreme Court of India through my client 'Sri Swamy Govindanandan Sarswati Ji'. In order dated 31.08.2018 it was asked to the parties to maintain the "status quo" which is still in operation till the final hearing of the case which is coming on 18th October 2022.
Any appointment in the concerned case will amount to contempt of court which is punishable.

Yours faithfully,

(MS. ANURAG RANA)
ADVOCATE

CC to,
1. Chief Secretary,
Govt. of Gujarat

2. District Collector
Deva Bhoomi Dwaraka Gujrat

3. Chief Secretary
Govt. of Uttarakhand

4. District Collector
Chamoli, Uttarakhand

Encl: Application for intervention

CC to
Sringeri Math,
Dwaraka Math,
Badari Math,
Puri Math

Poojya Jagadguru Shankaracharya Badari

Dwaraka Swami Sri Swaroopananda Saraswati ji

Mharaj openly declared saying that there is no any vasiyat (will) system in Shankaracharya parampara for appointing new and rejects vasiyat now avimukteshwarananda saraswati group bringing bogus vasiyat

शंकराचार्य की नियुक्ति पर विवाद: पुरी पीठ के निश्चलानंद सरस्वती ने ज्योतिषपीठ के अविमुक्तेश्वरानंद को धर्माचार्य मानने से भी इनकार किया

रायपुर एक महीने पहले

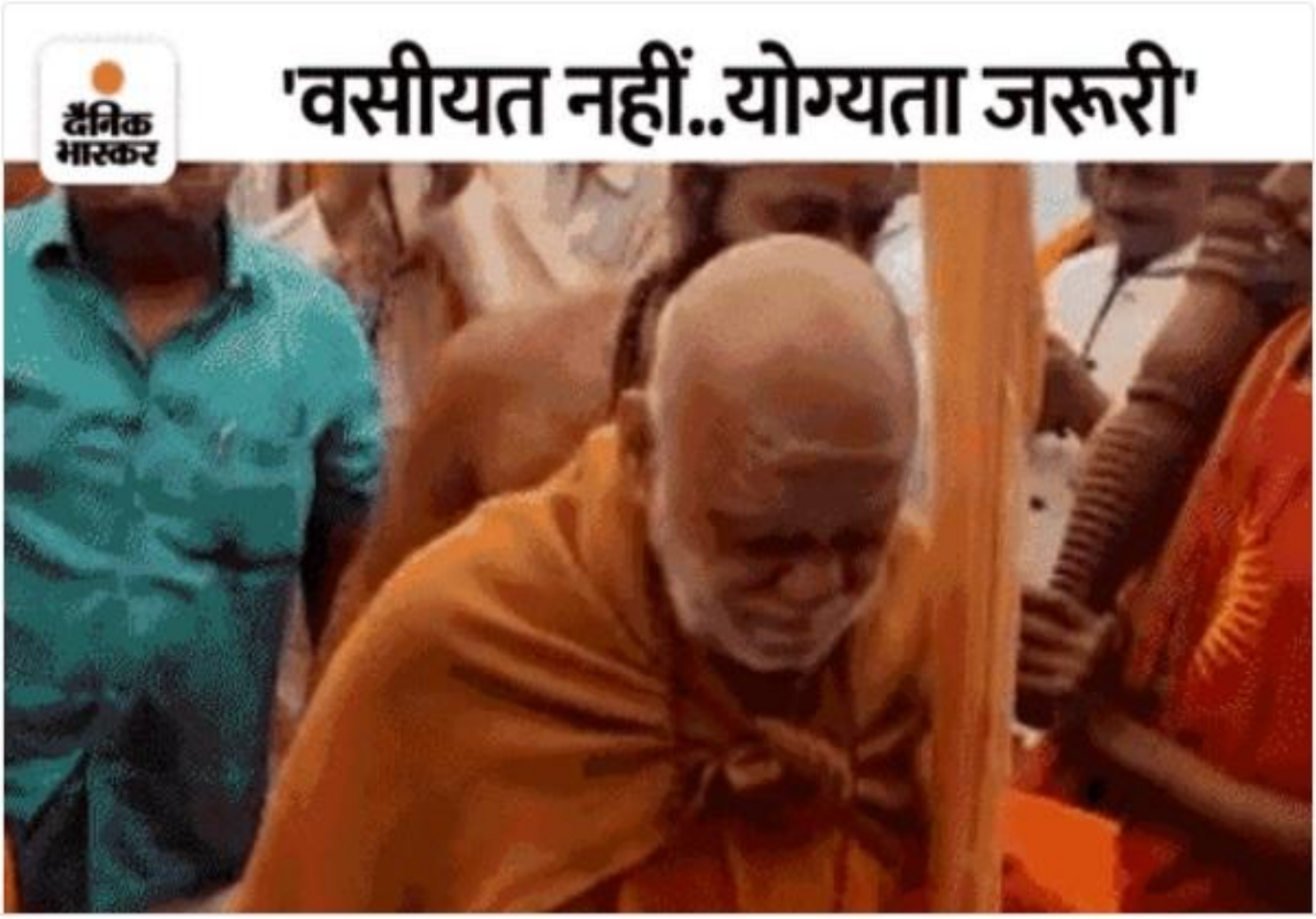

रायपुर में गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर ने दिया बड़ा बयान

स्वामी निश्चलानंद ने अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से किया इनकार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रायपुर. पुरी पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के देवलोक गमन के बाद उनकी जगह अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी रायपुर पहुंचे शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार करते हुए कहा कि क्या वे धर्माचार्य भी हैं?

अपनी इस बात को संक्षिप्त में ही खत्म करते हुए उन्होंने आरक्षण पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरक्षण के नाम पर हिंदुओं को ठगा जा रहा है। यह हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाकर बांटने का प्रयास है जो राजनेताओं की साजिश है। भारत के धर्म निरपेक्ष राष्ट्र होने पर उन्होंने कहा कि कोई ऐसी वस्तु या व्यक्ति बताइए जो धर्मनिरपेक्ष हो। योग दर्शन का एक सूत्र है "शब्द ज्ञान नुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः" बंध्यापुत्र, खरगोश के सिंग मात्र शब्द होते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार धर्मनिरपेक्ष एक शब्द है। कोई व्यक्ति या वस्तु धर्मनिरपेक्ष नहीं है। प्यासे व्यक्ति की पानी पीने में प्रीति प्रवृत्ति क्यों होती है? क्योंकि पानी अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा। सर्दी में ठिठुरता व्यक्ति आग क्यों तापना चाहता है? क्योंकि आग अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करती। हर व्यक्ति की प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक धर्म ही है। कान अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो बहरे हो जाएं। आंख धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो अंधे हो जाएं। वाणी अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो गूंगे हो जाएं। हर व्यक्ति की प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक धर्म ही है।

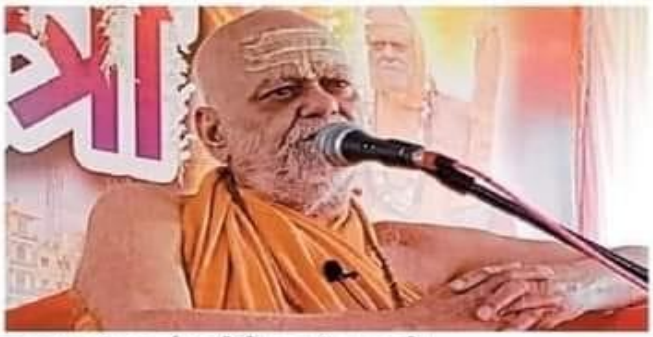

जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती।

आदिवासी भी हिंदू हैं क्योंकि वे भी प्रकृति की पूजा करते हैं

एक सवाल के जवाब में शंकराचार्य ने कहा कि आदिवासी भी हिंदू हैं क्योंकि वे प्रकृति की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने को हिंदू नहीं मान रहे, मनुष्य तो मान रहे हैं न? प्राणी तो मान रहे हैं न? अगर मनुष्य मान रहे हैं तो मानवोचित शील कहा से लाएंगे? इसके लिए आखिर में उन्हें इस सच को स्वीकार करना ही होगा।

Uttarakhand All Sanyasi Akharas Refuse To Accept Avimukteshwaranand As New Shankaracharya

ITEM NO.849 COURT NO.1 SECTION III-A

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Civil Appeal No(s). 3010/2020

JAGAT GURU SHANKARCHARYA
JYOTISHPEETH P.S.S.N SARASWATI Appellant(s)

VERSUS

SWAMI VASUDEVANAND SARASWATI
DISCIPLE OF S.H.N. SARASWATI Respondent(s)

WITH
IA. NO.153943/2022 IN C.A. No. 3011/2020 (III-A)

IA 140463/2022 - INTERVENTION/IMPLEADMENT
IA 140464/2022 - FOR EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA 140466/2022 - CLARIFICATION/DIRECTION
IA 140467/2022 -EXEMPTION FROM FILING O.T.)

Date : 12-10-2022 This application was Mentioned today.

CORAM :
HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE AJAY RASTOGI
HON'BLE MR. JUSTICE S. RAVINDRA BHAT

For Parties Mr. Tushar Mehta, SG (Mentioned by)
Ms. Manisha Agrawal Narain, Adv.
Mr. Sandeep Kumar Adv.
Mr. Pratyush, Adv.
Mr. Yadav Narender Singh, AOR

Ms. Taruna Ardhendumauli Prasad, AOR

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

I.A. NO.153943/2022 in C.A. No. 3011/2020

As prayed for, list this application before the Bench presided over by Hon'ble Mr. Justice B.R. Gavai on 14th October, 2022.

(NEETU KHAJURIA)
ASTT. REGISTRAR-cum-PS

(VIRENDER SINGH)
COURT MASTER

पट्टाभिषेक का समर्थन नहीं करती काशी विद्वत परिषद

जागरण संवाददाता, वाराणसी

ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद जबलपुर स्थित परमहंसी आश्रम में उनकी वसीयत के आधार पर शंकराचार्य पद पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की नियुक्ति हुई थी। लेकिन पट्टाभिषेक पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। काशी विद्वत परिषद भी इस पट्टाभिषेक का समर्थन नहीं करती। साथ ही इस पट्टाभिषेक में शामिल होने के लिए परिषद ने किसी भी पदाधिकारी या सदस्य को अनुमति नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को परिषद मानती है साथ ही अपील भी करती है कि लोग कोर्ट के फैसले को मानें। इस बारे में काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रो. वशिष्ठ त्रिपाठी ने कहा कि ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य पद पर विवाद से परिषद का कोई संबंध नहीं है।

ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानें सभी : परिषद

काशी विद्वत परिषद के सामने भविष्य में कोई प्रस्ताव या जिज्ञासा आती है तो मठाम्नाय महानुशासनम् ग्रंथ (आदि शंकराचार्य द्वारा शंकराचार्य के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधी ग्रंथ) को आधार मानकर ही परिषद अपने विचार स्थापित करेगी। सर्वविदित है कि शंकराचार्य के पट्टाभिषेक में काशी विद्वत परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शंकराचार्य भारतीय सनातन संस्कृति के मूल आधार होते हैं इसलिए इनकी चयन प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से चतुष्पीठ के शंकराचार्य और परिषद के विद्वानों की उपस्थित में शास्त्रार्थ के बाद होनी चाहिए।

प्रो. वशिष्ठ त्रिपाठी जागरण

शीर्ष धार्मिक पदों को राजनीतिक द्वेष और उठापटक से दूर रखें : महंत जन्मेजयशरण

जासं, अयोध्या : ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य के रूप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक पर रोक से अयोध्या के रसिक पीठाधीश्वर एवं जानकी घाट बड़ा स्थान के महंत जन्मेजयशरण आहत हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय का निर्णय सिर माथे पर है और यह निर्णय तो सर्वोच्च न्यायालय का है। उस पर कुछ कहने का सवाल ही नहीं उठता, किंतु न्यायालय में ऐसे मामलों को लेकर जाना मर्यादित नहीं है। शंकराचार्य का पद सनातन सांस्कृतिक परंपरा का बेहद सम्मानित पद है और उस पद को लेकर खींचतान और निजी स्वार्थ के लिए उसकी मर्यादा से खिलवाड़ उचित नहीं है।

Swaamishreeh avimukteshwaraanandah **स्वामिश्रीः अविमुक्तेश्वरानन्दः**

28 November 2020 ·

अनन्त श्री विभूषित द्वारकाशारदापीठाधीश्वर एवं ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य

स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज

श्रीशारदापीठम्	ज्योतिर्मठ
द्वारका, जामनगर, गुजरात	ज्योटकाचार्य गुफा, चमोली, गढ़वाल, उत्तराखंड
दूरभाष : 02892-235109	दूरभाष : 01389-222185

क्रमाङ्क :

दिनाङ्क : 22/11/20

स्थान : परमहंसी

प्रेस नोट

समाचार पत्रों के माध्यम से आज हमको यह जानकारी प्राप्त हुई कि स्वामी वासुदेवानन्द के प्रवक्ता ने हमारे ऊपर मुकदमा चलाने की धमकी दी है।जहाँ तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बात है तो यह हमारे दण्डी सन्यासी शिष्य है उनको हमने बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बन्द होने के उपलक्ष्य में हमारे प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर भेजा था उसके बाद ज्योटकाचार्य गुफा जो ज्योतिर्मठ जो कि हमारा व्यक्तिगत मठ है।वहाँ पर हमारे आदेश से 64 योगिनियों की मूर्ती की प्राण प्रतिष्ठा की गई है।

उत्तराखंड में मार्ग व्यवस्थित न होने के कारण हम स्वयं ज्योतिर्मठ नहीं पहुंच पाए इसलिए उनको आदेश किया कि वह वहाँ पर 64 योगिनियों का पूजन सम्पन्न करें।

रहा ज्योतिर्मठ का विषय तो वहां पर तीन मठ है जो मूल मठ है। वह मंदिर समिति के पास है

दूसरा मठ ज्योटकाचार्य गुफा जहाँ है । वह जगह हमारे द्वारा खरीद कर मठ का निमार्ण किया गया है।तीसरा मठ जो स्वामी ब्रह्मानन्द जी द्वारा बनाया गया है।उस पर विवाद है। जहां तक रेवेन्यू बोर्ड ने भी उस मठ पर हमारा अधिकार माना है और राजस्व विभाग के अभिलेखों में हमारा नाम दर्ज करने का आदेश किया है।बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिर समिति ने भी प्रस्ताव पास करके

Swaamishreeh avimukteshwaraanandah **स्वामिश्रीः अविमुक्तेश्वरानन्दः**

30 November 2020 ·

...

सार्वजनिक निवेदन

न कभी उत्तराधिकारी था । न हं । न होने की कामना या संभावना है।

दो दिनों से मन में पीड़ा है । और वह यह कि मेरे पूज्य गुरुजी को मेरे सन्दर्भ में खण्डन का प्रेस नोट जारी करना पडा।

यह मेरे लिये डूब मरने की बात है क्योंकि मैंने कभी ऐसा कोई काम न किया न करने का सोचा जो पूज्यपाद गुरुजी के विचारों, व्यवहारों के प्रतिकूल हो। भगवत्कृपा से 38 वर्षों के गुरुसेवा काल में कभी ऐसा अवसर आया भी नहीं।

यह पहला ही मौका है जब गुरुजी को सार्वजनिक रूप से हमारे सन्दर्भ में खण्डन का पत्र जारी करने का अवसर आया है। खण्डन का वह पत्र आपने इसी पेज की 28 नवम्बर की पोस्ट में देख लिया है । जिसमें पूज्यपाद गुरुजी ने अन्य बातों के अतिरिक्त यह कहा है कि हमने किसी को पीठों का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है। जो कि एकदम सही है।

पर खण्डन करना स्वयं में यह द्योतित करता है कि कोई है जो अपने को पीठों या पीठ विशेष का उत्तराधिकारी कह रहा है। तभी तो खण्डन की आवश्यकता पडी? क्योंकि नियम है--प्राप्तौ सत्यां निषेधः।अर्थात् कोई बात होती है तभी नकारा जाता है।

राष्ट्रीय जागरण

अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक का समर्थन नहीं करता काशी विद्वत परिषद

जागरण संवाददाता, वाराणसी : ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद जबलपुर स्थित परमहंसी आश्रम में उनकी वसीयत के आधार पर शंकराचार्य पद पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की नियुक्ति हुई थी। इसके बाद शनिवार को बद्रीकाश्रम में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का शंकराचार्य पद पर पट्टाभिषेक किया गया। इसी पट्टाभिषेक पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। काशी विद्वत परिषद भी इस पट्टाभिषेक का समर्थन नहीं करता। साथ ही इस पट्टाभिषेक में शामिल होने के लिए परिषद ने किसी भी पदाधिकारी या सदस्य को अनुमति नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को परिषद मानता है साथ ही अपील भी करता है कि लोग कोर्ट के फैसले को मानें।

इस बारे में काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रो. वशिष्ठ त्रिपाठी ने कहा कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य पद पर विवाद से परिषद का कोई संबंध नहीं है। पट्टाभिषेक में परिषद का कोई भी पदाधिकारी या सदस्य शामिल नहीं था। यदि परिषद के किसी विद्वान के शामिल होने की बात कही जाती है तो यह सिर्फ मिथ्या प्रचार है। परिषद के महामंत्री प्रो. रामनारायण द्विवेदी ने कहा कि पट्टाभिषेक को लेकर हुए किसी भी कार्यक्रम अथवा बैठक में परिषद के पदाधिकारी न तो उपस्थित थे और न ही किसी को अधिकृत किया गया था। सिर्फ गलत प्रचार किया जा रहा है। ऐसे विवादित मामलों से परिषद कोई संबंध नहीं रखता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को परिषद मानेगा। काशी विद्वत परिषद के सामने भविष्य में कोई प्रस्ताव या जिज्ञासा आती है तो मठाम्नाय महानुशासनम् ग्रंथ (आदि शंकराचार्य द्वारा शंकराचार्य के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधी ग्रंथ) को आधार मानकर ही परिषद अपने विचार स्थापित करेगा।

मारुति सुजुकी की कार खरीदने पर एसबीआइ दे रहा

सेवा में,

श्रीमान गुत्ती चन्द्रशेखर एल0एल0बी0
हिन्दू लीगल राइट प्रोडक्शन फोरम

विषय– विधिक नोटिस दिनांक 03 जून, 2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक विधिक नोटिस के संबंध में सानुरोध अवगत कराना है कि प्रार्थी वर्तमान में श्री बदरीनाथ–केदारनाथ मन्दिर समिति में मुख्य कार्याधिकारी पद पर तैनात नहीं है। प्रार्थी सेवानिवृत्त हो चुका है। ज्योतिषपीठ के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "status quo" रखने की जानकारी/ज्ञान तत्समय में प्रार्थी को नहीं थी। समाचार पत्रों के माध्यम से पूज्य महाराज के ब्रह्मलीन होने का समाचार ज्ञात होने पर मात्र शोक संवेदना व्यक्त करने हेतु तत्समय में पत्र लिखा गया और पत्र में अभिनदंन शब्द जुड़ गया, जो पूर्णतः भाववश लिखा गया, जैसा कि समाचार पत्रों/सोशल मीडिया के माध्यम से विदित हुआ था। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना जैसा कृत्य करने का आशय नहीं था, ना ही किसी विवाद की जानकारी थी। तथापि यदि किसी भी दशा में आपको ऐसा प्रतीत होता हो और आपके पक्ष के विपरित हो तो इस पत्र के संबंध में खेद व्यक्त करते हुए क्षमा प्रार्थी हूँ।

भवदीय

(बी0डी0 सिंह)
पूर्व (तत्कालीन) मुख्य कार्याधिकारी
श्री बदरीनाथ–केदारनाथ मन्दिर समिति।

Dilip Mandal
@Profdilipmandal

हिंदू समाज ने एक बहुत बड़ा सुधार चुपचाप कर लिया। द्वारिका और ज्योतिषपीठ के नए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ओबीसी हैं। उनकी जाति कई राज्यों में ओबीसी लिस्ट में है। ये जाति मुख्य रूप से राजा और अमीर लोगों की प्रशंसा में गीत गाती थी। वे पहले ग़ैर-ब्राह्मण शंकराचार्य हैं।

Translate post

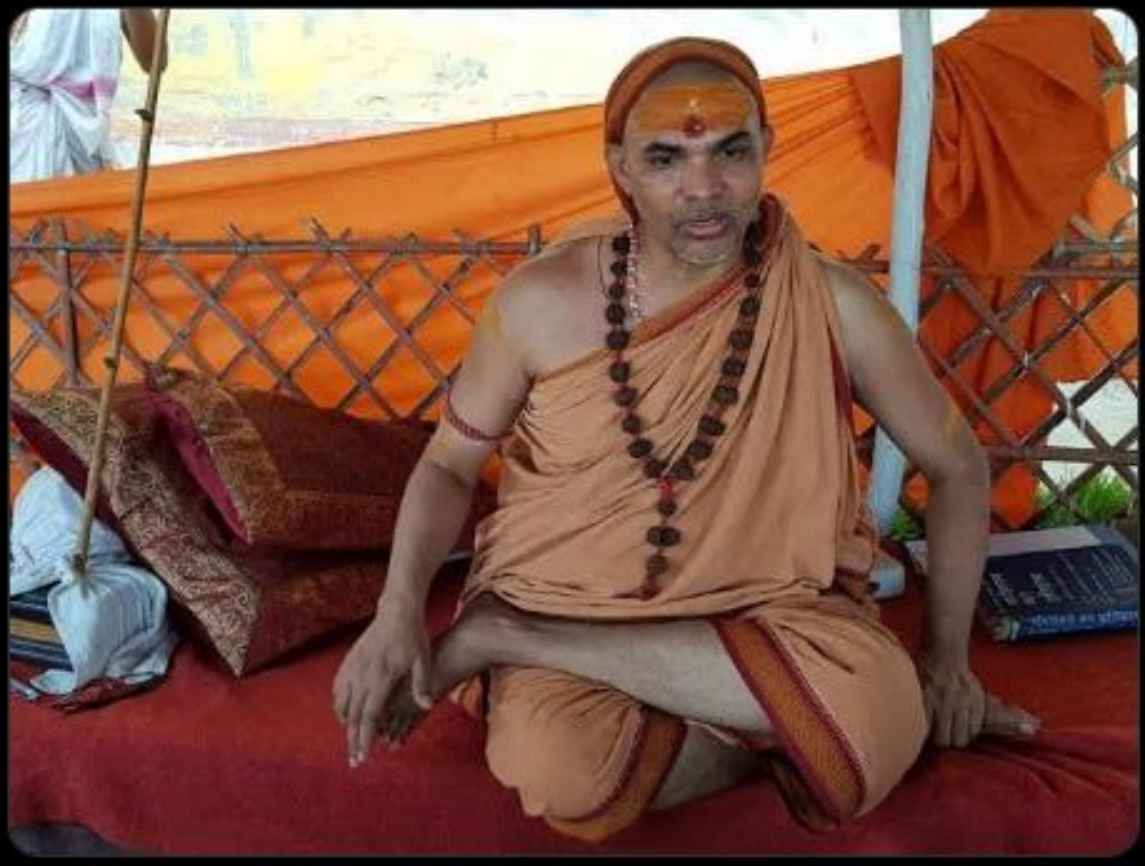

9:58 PM · Sep 18, 2022

Dilip Mandal
@Profdilipmandal

ब्राह्मण समुदाय नए ओबीसी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का विरोध कर रहा है। ओबीसी के लोगों को चाहिए कि वे अपने शंकराचार्य का समर्थन करें। वरना वे इनको टिकने नहीं देंगे। स्वामी जी को भी चाहिए कि कुर्सी पर डट जाएं। देखते हैं कौन हटाता है? ओबीसी के पैसे से ही तो सब मंदिर चल रहे हैं।

Translate post

#LIVE भास्कर अपडेट्स: उत्तराखंड के संन्यासी अखाड़े ने अविमुक्तेश्वरानंद को नया शंकराचार्य मानने से इनकार किया
dainik-b.in/Vbz8cnGaztb
#Uttrakhand

Translate Tweet

23 मिनट पहले

शेयर

स्वामी स्वरूपानंद की वसीयत के आधार पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (तस्वीर में) को नया शंकराचार्य घोषित किया गया।

Dilip Mandal
@Profdilipmandal

ब्राह्मण समुदाय नए ओबीसी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का विरोध कर रहा है। ओबीसी के लोगों को चाहिए कि वे अपने शंकराचार्य का समर्थन करें। वरना वे इनको टिकने नहीं देंगे। स्वामी जी को भी चाहिए कि कुर्सी पर डट जाएं। देखते हैं कौन हटाता है? ओबीसी के पैसे से ही तो सब मंदिर चल रहे हैं।

Translate post

#LIVE भास्कर अपडेट्स: उत्तराखंड के संन्यासी अखाड़े ने अविमुक्तेश्वरानंद को नया शंकराचार्य मानने से इनकार किया
dainik-b.in/Vbz8cnGaztb
#Uttrakhand

Translate Tweet

23 मिनट पहले

शेयर

स्वामी स्वरूपानंद की वसीयत के आधार पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (तस्वीर में) को नया शंकराचार्य घोषित किया गया।

ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम ट्रस्ट का खाता सीज

- स्वामी गोविंदानंद की शिकायत पर कार्रवाई
- आरोप: अनधिकृत रूप से निकाली गई राशि

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय ट्रस्ट का खाता सीज कर दिया गया है। केनरा बैंक की चौक शाखा के प्रबंधक ने बुधवार मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद यह कार्रवाई की। केदारघाट निवासी स्वामी गोविंदानंद सरस्वती की लिखित शिकायत पर कार्रवाई की गई है। हिंदू कानूनी अधिकार संरक्षण मंच की शिकायत के अनुसार ट्रस्ट से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर 60 लाख रुपये निकाले हैं।

उन्होंने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को इस खाते से लेन-देन का अधिकार नहीं है। यह खाता कोलकाता के पते पर खोला गया था लेकिन उन्होंने बनारस में इसे स्थानांतरित करा लिया। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी उल्लंघन किया है। मंच के अधिवक्ता के रूप में शशांक शेखर त्रिपाठी पैरवी कर रहे हैं। ज्योतिर्मठ के प्रभारी मुकुन्दानन्द ब्रह्मचारी ने कहा कि मीडिया से कार्रवाई की जानकारी मिली है।

स्थापित सन् 1901

।। श्री विश्वनाथो जयति ।।
अकुण्ठं सर्वकार्येषु, धर्म कार्यार्थमुद्यतम।
वैकुण्ठस्य हि यद्रूपं, तस्मै कार्यात्मने नमः।।

श्री भारतधर्म महामण्डल

सभी धर्माचार्यों एवं सभी हिन्दू समाजों द्वारा स्वीकृत सनातन धर्मियों की अखिल भारतीय प्राचीनतम विराट धर्म महासभा

प्रधान कार्यालय : स्वामी ज्ञानानन्द मार्ग, महामण्डल भवन, लहुराबीर, वाराणसी - 221001
email : sbdm.vns@gmail.com

पत्रांक.....

दिनांक 28/9/2022

प्रकाशनार्थ

कतिपय समाचारों में यह सुनने को आया है कि श्री भारत धर्म महामण्डल, वाराणसी ने ज्योतिषपीठ शंकराचार्य के लिये स्वामीश्री अविमुक्तेश्वारानन्द सरस्वती जी का समर्थन किया है, यह समाचार भ्रामक ही नही घोर असत्य है। शंकराचार्य चुनने की एक तय प्रकिया है जिसका नियम पालन सबके लिये अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में श्री भारत धर्म महामण्डल की बैठक में विचार किया जायेगा।

शम्भू उपाध्याय

डॉ० शम्भू उपाध्याय
जनरल सेक्रेटरी
श्री भारतधर्म महामण्डल
लहुराबीर, वाराणसी

अविमुक्तेश्वरानंद नहीं हैं शंकराचार्य

अविमुक्तेश्वरानंद नहीं हैं शंकराचार्य

वाराणसी। श्री भारतधर्म महामंडल ने ज्योतिषपीठ को रिक्त बताया और कहा कि इस पीठ पर कोई शंकराचार्य पीठाधीन नहीं है। इसलिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का शंकराचार्य होने का दावा करना गलत है। इस पीठ पर शंकराचार्य नियुक्त करने का अधिकार अन्य तीन पीठों के शंकराचार्यों के नेतृत्व में श्री भारतधर्म महामंडल को है।

महामंडल के अध्यक्ष प्रो. श्रद्धानंद और जनरल सेक्रेटरी डॉ. शंभू उपाध्याय ने लहुराबीर स्थित कार्यालय में पत्रकारों से बात की और कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और धर्मार्थ मंत्री को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बिना किसी आधार के खुद को शंकराचार्य बनने के मामले को संज्ञान में लें। उन्होंने कहा कि द्वारिकापीठ के पूर्व शंकराचार्य गोलोकगमन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को अधिकार नहीं था कि वह उनको शंकराचार्य घोषित करें। क्योंकि न्यायालय ने पहले ही ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य पद के लिए उनके द्वारा अपने को कराए गए अभिषेक को अवैध करार दिया था। संवाद

शंकराचार्य की नियुक्ति करने हेतु उपस्थित रहे।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बदरिकाश्रम पीठका शंकराचार्य बताना सही नहीं-श्रीभारतधर्म महामण्डल

श्री भारतधर्म महामण्डल के जनरल सेक्रेटरी डाक्टर शम्भू उपाध्याय ने कहाकि ज्योतिषपीठ बदरिकाश्रम की पीठका श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मीडिया द्वारा शंकराचार्य बताना

सत्य से कोसो दूर है अथवा सत्यसे परे है। डाक्टर उपाध्याय शुक्रवार को पत्रकारोंसे बातचीत करते हुए कहाकि राष्ट्रीय चैनल, प्रिंटमीडिया, स्थानीय चैनल एवं कुछ यू ट्यूवर अपूर्ण जानकारी के आधारपर ज्योतिर्मठ ज्योतिष्पीठ बदरिका आश्रम के शंकराचार्य के रूपमें प्रस्तुत कर रहे हैं जो कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने कहाकि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में दोनों दावेदारों बासुदेवानंद सरस्वती एवं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अमान्य करते हुए भारतधर्म महामण्डल को शेष शंकराचार्यों, विद्वतजनों से परामर्श कर शंकराचार्य की नियुक्ति करने हेतु आदेशित किया था जिसपर श्री भारतधर्म महामण्डल ने शंकराचार्य पदपर नियुक्ति के ए सम्पूर्ण भारतके विद्वतजनों, संस्कृत विद्यालयों के आचार्यों एवं विभिन्न धार्मिक स्थानों से उक्त पद हेतु योग्य विद्वानों के नामका प्रस्ताव मांगा गया था। उन्होंने बताया कि इस संबंध में श्री श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ जी महाराज, पुरी पीठके शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती एवं शारदापीठ से शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करनेके लिए परामर्श भी किया गया था। शंकराचार्य की नियुक्ति हेतु पूरे देश स लगभग १५० प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसमें स्वामी स्वरूपानंद एवं बासुदेवानंद सरस्वती का नाम भी प्रस्तावित था लेकिन इसी बीच स्वरूपानंद जी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी जिसके कारण श्री भारत धर्म महामण्डल ने न्यायालय के आदेशका क्रियान्वयन नहीं कर सका। पत्रकार वार्ता में अध्यक्ष प्रोफेसर श्रद्धानंद, चीफ सेक्रेटरी प्यारे सिंह सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

i.) That, whenever it would be considered necessary, the applicant/accused shall produce himself before the Police Officer for enquiries/investigations.

ii.) That, directly or indirectly, the applicant/accused shall not tender any such threatening; words or lure to any such person who might be aware with the facts of the case, so that he could be discouraged to disclose correct facts before the Court or before Police Officers.

iii.): That, the applicant/accused shall not leave the country India; unless and until, permission/sanction of the competent court has not been taken.

10.): In case of committing violation of the abovementioned conditions by the applicant/accused, the prosecution would be entitled to get cancelled the anticipatory bail under the provisions of the Code of Criminal Procedure.

Dated: 9th of February, 2023.

Sd/- (Dr. Ajay Krishna Vishvesh)

09.2.2023.

Sessions Judge, Varanasi.

J. O. Code: UP-5329.

=-=-=-=-=

05.): District Government Advocate (Criminal) while opposing to the anticipatory bail, has prayed for the rejection of the application for anticipatory bail.

06.): From perusal of the papers of the prosecution side, it is perceived that the applicant/accused has not been named in the first information report. Name of the accused has come to light during the course of the investigation. On behalf of the prosecution side, similar pleadings and contentions have been made in respect of the accused persons either duly arrested and those who have been named in the first information report; but any specific collaboration of the applicant/accused has not been disclosed in the instant matter. Offence is to be examined by the 1st Class Magistrate. Any criminal history of the applicant/accused has not been submitted on behalf of the prosecution.

07.): In the abovementioned situations, in accordance with the views of this Court, reasonable and befitting ground is present to grant the benefit of anticipatory bail to the applicant/accused. Thus, the application for grant of anticipatory bail to the applicant/accused is worth of acceptance.

O R D E R

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

08.): The application for grant of anticipatory bail filed by the applicant/accused Swami Avimukteshwaranand Sarswati is accepted. In case of filing of personal bail-bond of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) and two sureties of similar amount by the applicant/accused; and in the situation of arresting him by the Police in the aforesaid offence, he be released on bail.

09.): Accused shall submit the undertaking to the following effect:-

ANNEXURE: ----------

BY THE COURT OF THE DISTRICT and SESSIONS JUDGE, VARANASI,
(UTTAR PRADESH)
PRESIDING OFFICER: DR. AJAY KRISHNA VISHWESH
J. O. Code UP 5329.

CNR No. UPVR010011932023

Anticipatory Bail Application No. 918 In Session Case No. 810/2023.

Swami Avimukteshwaranand Saraswati Disciple of Shankaracharya Swami Swaroopanand Saraswatiji Maharaj; presently residing at Shri Vidyamath, Kedarghat, Varanasi (U. P.). – Applicant/Accused.

V E R S U S

State of Uttar Pradesh. - Prosecution.

Criminal Case No. 80/2018 under Sections 147, 148, 149, 152, 165, 188 and 427 of the Indian Penal Code of the Police Station, Dashshvamedh, District Varanasi (Uttar Pradesh).

ORDER SHEET – DATED: 9TH OF FEBRUARY, 2023:

=-=

01.): On behalf of the applicant Swami Avimukteshwaranand Saraswati this anticipatory bail application in the aforesaid case, has been filed.

02.): Heard the arguments advanced by the learned counsel appearing on behalf of the applicant/accused, and those advanced by the District Government Advocate (Criminal) appearing on behalf of the prosecution side, and have also perused the file.

Court on 7th of October, 2015. Role of the applicant/accused has been disclosed similar to the co-accused persons. Any criminal history of the applicant/accused has not been filed on behalf of the prosecution side.

08.): Hence, keeping in view to the facts and circumstances of the case, without effectuating to the merits of the case, the bail application of the applicant/accused is acceptable.

O R D E R

09.): The bail application submitted by the applicant/accused Avimukteshwaranand Swami alias Anant Shri Vibhushit Jagadguru Jyotishipeethadhishwar Swami Shree Avimukteshwaranand Saraswati Maharaj is accepted. Upon filing of personal bail-bond of Rs. 20,000/- (Rupees Twenty Thousand only) and sureties of similar amount by the accused/applicant, under the satisfaction of the concerning Magistrate, he be released on bail against the following conditions:-

i.) Accused shall not repeat the offence of similar nature;

ii.) Accused shall cooperate and assist in the trial and would not seek unnecessary stay/deferment;

iii.) Accused shall not effectuate or influence or terrorize to the witnesses connected with the case.

Dated: 23rd of December, 2022. Sd/- (Dr. Ajay Krishna Vishvesh)

23.12.22.,

Sessions Judge, Varanasi.

J. O. Code: UP-5329.

Court No. - 66

Case :- CRIMINAL MISC ANTICIPATORY BAIL APPLICATION U/S 438 CR.P.C. No. - 11088 of 2022

Applicant :- Avimukteshwaranand Swami
Opposite Party :- State of U.P.
Counsel for Applicant :- Desh Ratan Chaudhary
Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Samit Gopal,J.

List revised.

Heard Sri Ankit Shukla, Advocate, holding brief of Sri Desh Ratan Chaudhary, learned counsel for the applicant, Sri S.B. Maurya, learned counsel for the State and perused the record.

This anticipatory bail application under Section 438 Cr.P.C. has been filed by the applicant with the following prayer :-

"It is therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to allow this anticipatory bail application and may be pleased to enlarge the applicants on anticipatory bail in Case Crime No. 86 of 2015, under Sections 147, 148, 149, 332, 353, 333, 307, 395, 397, 435, 436, 427, 34, 188 I.P.C. & Section 7 of Criminal Law Amendment Act, 3/4 Prevention of Damages to Public Property Act, 1984, Police Station- Dashaswamedh, District Varanasi, during the pendency of the investigation of the present case regarding them, and/or pass such and further order which this Hon'ble Court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case."

Learned counsel appearing for the applicant states that the present anticipatory bail application has become infructuous as the applicant appeared before the court concerned and has been granted bail.

As prayed by learned counsel for the applicant, the present anticipatory bail application is dismissed as infructuous.

(Samit Gopal,J.)

Order Date :- 23.12.2022
Naresh

॥ श्री महा गणेशाय नमः ॥

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद

अध्यक्ष -श्री महन्त रवींद्र पुरी, मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट, हरिद्वार,उत्तराखंड
महामंत्री - श्री महन्त हरि गिरी, पंच दशनाम जूना अखाड़ा, माया देवी मंदिर, हरिद्वार

कार्यालय- शिव शक्ति भवन, निरंजनी अखाड़ा रोड, मायापुर, हरिद्वार- 249401, मोबाइल: 9193105060, 9548565816

दिनांक 25/09/22

हरिद्वाराजगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के कैलासवासी होने के अगले दिन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की नियुक्ति हुई है वह बिल्कुल गलत है। शंकराचार्य की नियुक्ति जिसने भी की है उनका कोई अधिकार नहीं है।जबकि संन्यासी अखाड़ों की उपस्थिति में शंकराचार्य की घोषणा होती है। जबकि अभितक आदि गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की षोडशी भंडारा व अन्य सनातनी परंपरा अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि इसी बीच में शंकराचार्य पद की घोषणा कर दी जाती है यह सनातन धर्म के लिए नुकसानदायक और घातक है।इससे पूर्व 1941 में कैलाश वासी स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी की नियुक्ति जूना अखाड़ा व अन्य अखाड़ों की अध्यक्षता में हुई थी। इस तरह जल्द बाजी में शंकराचार्य की नियुक्ति हुई है हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि उत्तराखंड में गिरि सन्यासियों की संख्या सबसे ज्यादा है।शंकराचार्य पद पर उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा जो भगवान शंकराचार्य के संदेश को जन जन तक पहुंचाने वाला हो,जिसके पास जनसमूह अर्थात श्रद्धालु भक्त भी हो। वसीयत के आधार पर शंकरचार्य की नियुक्ति नहीं होती है यह स्वयं कैलाश वासी शंकराचार्य जगतगुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी ने कहा था। कैलाश वासी जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने जीते जी किसी को कोई शंकराचार्य घोषित नही किया था। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य की उपाधि सनातन धर्म और परंपरा की सर्वोच उपाधि है जिस पर संन्यासी अखाड़ों की उपस्थिति में विधि विधान के साथ शंकराचार्य की नियुक्ति होती हैं।

M Ravindra Puri

अध्यक्ष
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद्
श्री महंत रवींद्र पुरी

अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाडा परिषद
मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट हरिद्वार।

Govardhan Math

@govardhanmath

अराजकता के पक्षधर वर्ण और व्यक्तित्व विहीन व्यक्ति को शङ्कराचार्य की मान्यता प्रदान करना शृंगेरी-पीठ के तद्वत् किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के अपकर्ष का द्योतक

Translate Tweet

20:14 · 24 Sept 22 · Twitter for Android

Advocate,

सर्वेभवन्तु सुखिनः सर्वेसन्तु निरामयः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा् कश्चित दुःख भाग्भवेत्।।

चार पीठो के चार शंकराचार्य ही सर्वमान्य हैं

आदि जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार आम्नाय पीठों के सर्वमान्य जगत्गुरु शंकराचार्य

ज्योतिष पीठाधीश्वर (बदरिका आश्रम)	श्री श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर (श्रृंगेरी)	श्री गोवर्धन पीठाधीश्वर (पुरी)	श्री शारदा पीठाधीश्वर (द्वारका)
स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी	स्वामी श्री भारती तीर्थ जी	स्वामी श्री निश्चलानंद जी	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी

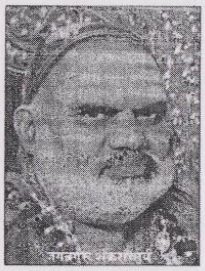

अति प्राचीन सनातन धर्म के अनुसार चार पीठ द्वारका शारदा व ज्योर्तिपीठ, श्रृंगेरी एवं पुरी के जगद्गुरु शंकराचार्य क्रमशः स्वामी श्री स्वरूपानन्दजी, स्वामी भारतीयतीर्थ एवं स्वामी निश्चलानन्दजी है। हमारे प्राचीन धर्मग्रंथों एवं उपनिषदों में इसका स्पष्ट उल्लेख है।

१. भारत का गजेटियर खण्ड १ भारत सरकार का आधिकारिक राजपत्र है। यह राजपत्र सर्वप्रथम १८८१ ई० में राजपत्र समिति के अध्यक्ष हण्टर द्वारा ब्रिटिश भारत साम्राज्य की ओर से प्रकाशित किया गया था। कालान्तर में भारत सरकार द्वारा इसका पुनः प्रकाशन १९६४ ई० में किया गया। उल्लिखित तथ्य है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बालाशंकर-महाशंकर भट्ट जी के प्रकरण में १९९५ में दिये गये निर्णय जो कि AIR 1995 SC 167 के अनुसार भारत का गजेटियर एक सत्य तथ्य के रूप में ग्राह्य है।

२. १८९६ ई० में द्वारका के ७३वें शंकराचार्य श्री राजराजेश्वर शंकराश्रम द्वारा प्रकाशित पुस्तक विमर्श में सार्वभौम राजा सुधन्वा का शासनादेश प्रकाशित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा पारित AIR 1963 SC 1638 के निर्णय के द्वारा सुधन्वा का वह शासनादेश विधि-बल रखता है और वह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार पीठों (श्री गोविन्द जी महाराज का प्रकरण) तिलकायत की व्यवस्था के लिए वैधानिक है, जिसमें दी गई व्यवस्थाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्य हैं।

३. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण सिंह बनाम मथुरा अहीर का प्रकरण जो कि AIR 1980 SC 707 में प्रकाशित है -- में कहा है कि आदि शंकराचार्य द्वारा प्रस्थापित ४ मठों (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम) के आचार्य ही जगद्गुरु शंकराचार्य कहलाते हैं।

४. माननीय पटना उच्च-न्यायालय ने OD No. 30 F 1931 में पारित 1936 के आदेश में यह निष्कर्ष दिया कि आदि शंकराचार्य ने ४ मठों की स्थापना की और इन मठों के अधिपति जगद्गुरु शंकराचार्य कहलाते हैं। जिनकी प्रभुता व्यापक रूप से हिंदू स्वीकार करते हैं। ये चारों मठ मठाम्नाय महानुशासन नामक ग्रंथ से शासित होते हैं। इसे समस्त हिंदू मठों का प्रमाणभूत शास्त्र मानते हैं।

५. भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णनन ने अपने दार्शनिक ग्रंथ भारतीय दर्शन जिसका आंग्लभाषा संस्करण १९२२ में प्रकाशित हुआ एवं हिन्दी में ११२८ में प्रकाशित हुआ। खण्ड २ में पृष्ठ 385 एवं 87 में यह उल्लेख है कि आदि शंकराचार्य जी ने ४ मठों की स्थापना की।

६. १८७५ ई० में लिखित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ जिसके रचयिता आर्य समाज संस्थापक दयानंद सरस्वती थे उन्होंने लिखा आदि शंकराचार्य जी ने ४ मठों की स्थापना की, उनके ४ प्रमुख शिष्य ही उनके उत्तराधिकारी हुये आदि शंकराचार्य के कारण उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी।

७. स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक ट्रू हिस्ट्री में पृष्ठ 490, 91 पर लिखा है कि २५०० वर्ष पूर्व शंकराचार्य जी ने ४ मठों की स्थापना की।

८. ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तण्ड जो कि १८७९ ई० में श्री हरिकृष्ण शास्त्री द्वारा लिखा गया है, उसमें शंकराचार्य प्रादुर्भाव प्रकरण के अंतर्गत मठाम्नाय महानुशासन को भी प्रकाशित किया है जिसमें आदि शंकराचार्य द्वारा ४ मठों की स्थापना एवं उन मठों पर अभिषिक्त आचार्यों का उल्लेख है।

९. भारत सरकार द्वारा २००९ की जनगणना के अनुक्रम में प्रकाशित टेंपल ऑफ तमिलनाडु में शंकराचार्य जी का जन्मकाल ईसा पूर्व ५०० वर्ष माना है।

१०. १/५/१९७९ में श्रृंगेरी में आयोजित चारों पीठों के तत्कालीन शंकराचार्यों के चतुष्पीठ सम्मेलन में देश एवं धर्म की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श हुआ। सम्मेलन में तत्कालीन चारों शंकराचार्यों का एक संयुक्त आशीर्वाद पत्र जो कि समग्र देशी की सनातनी जनता के लिए प्रकाशित होता है उसमें सभी शंकराचार्यों के हस्ताक्षर होते हैं। तत्कालीन ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी के अभिनव विद्यातीर्थ जी पूर्वाम्नाय पुरी पीठ के स्वामी निरंजन देवतीर्थ जी पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदा पीठ के अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी के हस्ताक्षर एवं वह प्रपत्र देखा जा सकता है।

११. स्व० प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने अपनी पुस्तक 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' में साफ शब्दों में उल्लेख किया है कि आदि शंकराचार्य ने चार पीठों की ही स्थापना की थी।

१२. ४ मठों के जगद्गुरु शंकराचार्यों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई व्यक्ति अपने को जनता के समक्ष जगद्गुरु शंकराचार्य प्रचारित प्रसारित करता है। श्रद्धालुओं को धोखे में रखकर प्रवंचना पूर्ण तरीके से भेंट, दक्षिणा, श्रद्धा, सम्मान प्राप्त करता है तो उसका यह कृत्य भारतीय दण्ड विधान की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दण्डनीय अपराध माना जा सकता है जिसके फलस्वरूप उस व्यक्ति के ऊपर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

निवेदक : **जगद्गुरु शंकराचार्य चातुर्मास समारोह समिति** सज्जन सराफ–अध्यक्ष जनहित में प्रकाशनार्थ

Sri Govindananda Saraswati Personal Documents